उर्दू प्रेस की समीक्षा और विश्लेषण

वर्ष 7 अंक 9 1-15 मई 2024 ₹ 20/-

मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण के लिए शरिया और कुरान का सहारा

- देश की मुस्लिम जनसंख्या में भारी वृद्धि
- पाक अधिकृत कश्मीर में बढ़ती महंगाई के खिलाफ भीषण जनाक्रोश
- भारत ने ईरान से लीज पर लिया चाबहार बंदरगाह
- इस्लामी मदरसे या यौन शोषण के अड्डे?

परामर्शदाता
डॉ. कुलदीप रतनू

सम्पादक
मनमोहन शर्मा*

सम्पादकीय सहयोग
शिव कुमार सिंह

कार्यालय
डी–51, प्रथम तल,
हौज खास, नई दिल्ली–110016
दूरभाषः 011–26524018

E-mail:
info@ipf.org.in
indiapolicy@gmail.com

Website:
www.ipf.org.in

मुद्रक–प्रकाशकः मनमोहन शर्मा द्वारा भारत नीति प्रतिष्ठान के लिए डी–51, प्रथम तल, हौज खास, नई दिल्ली–110016 से प्रकाशित तथा साई प्रिंटओ पैक प्रा.लि., ए–102/4, ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस–2, नई दिल्ली–110020 से मुद्रित

*अनुवाद के लिए पूरी तरह जिम्मेदार

अनुक्रमणिका

सारांश 03

राष्ट्रीय

मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण के लिए शरिया और कुरान का सहारा 04
देश की मुस्लिम जनसंख्या में भारी वृद्धि 07
इस्लामी मदरसे या यौन शोषण के अड्डे? 10
औरंगाबाद और उस्मानाबाद के नाम बदलने की उच्च न्यायालय द्वारा मंजूरी 11
भाजपा नेताओं की हत्या की साजिश के आरोप में मौलाना गिरफ्तार 13

विश्व

पाक अधिकृत कश्मीर में बढ़ती महंगाई के खिलाफ भीषण जनाक्रोश 16
पाकिस्तानी मूल के सादिक खान लंदन के महापौर निर्वाचित 18
अफगानिस्तान में नमाजियों पर अंधाधुंध फायरिंग 20
ईरान का अफगानिस्तान सीमा को सील करने का फैसला 21
जर्मनी में इस्लामी खिलाफत की मांग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश 23

पश्चिम एशिया

भारत ने ईरान से लीज पर लिया चाबहार बंदरगाह 25
फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता का प्रस्ताव मंजूर 27
कुवैत की संसद भंग 30
तुर्किये का इजरायल के साथ व्यापारिक संबंध समाप्त 31
ईरान द्वारा परमाणु बम बनाने की धमकी 32
सऊदी अरब के शाही महलों को पर्यटकों के लिए खोलने का फैसला 34

सारांश

बड़ी हैरानी की बात है कि उर्दू मीडिया और मुस्लिम नेता प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और भाजपा के खिलाफ मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण के लिए शरिया, कुरान और रसूल का सहारा ले रहे हैं। उनका कहना है कि मोदी सरकार संविधान को बदलकर इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है। इससे देश के मुसलमानों की अलग पहचान खतरे में आ जाएगी। ऐसे में यह जरूरी है कि मुसलमान इस्लाम, मदरसों, दरगाहों व मस्जिदों की रक्षा के लिए एकजुट हो जाएं और भाजपा के खिलाफ शत-प्रतिशत मतदान करें। अभी यह दावा करना मुश्किल है कि इस सुनियोजित अभियान का मुसलमानों के मतदान के रूझान पर कितना असर पड़ेगा।

हाल ही में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की एक रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि 1950 से 2015 के बीच मुसलमानों की जनसंख्या में 43.15 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। जबकि इस दौरान हिंदुओं की जनसंख्या में 7.82 प्रतिशत की गिरावट आई है। उर्दू मीडिया ने इस रिपोर्ट की तथ्यात्मकता पर संदेह व्यक्त किया है। उसका दावा है कि चुनाव के दौरान इस रिपोर्ट को इसलिए सार्वजनिक किया गया है ताकि इसकी आड़ में भाजपा के पक्ष में हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण किया जा सके।

पाक अधिकृत कश्मीर में बढ़ती महंगाई और आर्थिक बदहाली के खिलाफ जनाक्रोश ने भीषण रूप धारण कर लिया है। इस संबंध में संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी ने रावलकोट से पाक अधिकृत कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद तक लॉन्ग मार्च का आयोजन किया था। इससे पूरा जनजीवन ठप हो गया है। मीरपुर में आंदोलनकारियों ने एक पुलिस अधिकारी को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद स्थिति और भी बिगड़ गई। सरकार को इंटरनेट और मोबाइल सेवा पर पाबंदी लगानी पड़ी। क्योंकि पुलिस आंदोलनकारियों का सामना करने में विफल रही, इसलिए सरकार को भारी संख्या में पाकिस्तानी रेंजर्स को इस पूरे क्षेत्र में तैनात करना पड़ा है। स्थिति की भीषणता का अनुमान इस बात से ही लगाया जा सकता है कि इस मुद्दे पर विचार करने के लिए पाकिस्तान सरकार को अपने मंत्रिमंडल की आपातकालीन बैठक बुलानी पड़ी। इसके साथ ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को पाक अधिकृत कश्मीर को महंगाई से राहत देने के लिए 23 अरब रुपये आवंटित करने पर मजबूर होना पड़ा। इसके बावजूद आंदोलनकारी अपनी मांगों से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हैं। संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी और पाक अधिकृत कश्मीर सरकार के बीच जो वार्ता चल रही थी, वह भी विफल हो गई है।

हाल ही में मोदी सरकार को एक बड़ी कूटनीतिक सफलता मिली है। भारत ईरान स्थित चाबहार बंदरगाह को दस सालों के लिए विकसित और संचालित करेगा। भारत और ईरान ने इस संबंध में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस बंदरगाह का विशेष महत्व इसलिए भी है, क्योंकि भारत अब पाकिस्तान को नजरअंदाज करके अफगानिस्तान, रूस और मध्य एशिया के डेढ़ दर्जन देशों से सीधा व्यापार कर सकेगा। इस समझौते से पाकिस्तान और चीन दोनों को जबर्दस्त झटका लगा है। इस समझौते से पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह और चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कार्यक्रम के तहत जिस आर्थिक गलियारे का विकास किया गया था उसके महत्व पर भी चोट लगी है। खास बात यह है कि भारत और ईरान का यह समझौता अमेरिका को पसंद नहीं आया और उसने भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने की धमकी दे डाली है।

मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण के लिए शरिया और कुरान का सहारा

देश के इतिहास में शायद पहली बार मुस्लिम नेताओं और उर्दू मीडिया ने प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा के खिलाफ मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण के लिए शरिया और कुरान का खुलकर सहारा लिया है। पिछले दो महीने से मुस्लिम नेता और उर्दू मीडिया यह सुनियोजित अभियान चला रहे हैं कि मुस्लिम मतों में विभाजन न हो और सभी मुस्लिम मतदाता एकजुट होकर भाजपा के खिलाफ मतदान करें। आरोप यह लगाया जा रहा है कि भाजपा अगर फिर से सत्ता में आ गई तो मुसलमानों की अलग पहचान खतरे में आ जाएगी, क्योंकि उसके नेता इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं।

हिंदुस्तान (1 मई) में एक लेख प्रकाशित हुआ है, जिसमें कहा गया है कि मुसलमानों को एकजुट होकर सेक्युलर पार्टियों के पक्ष में वोट डालना चाहिए। वोट डालना हमारा दीनी कर्तव्य है। वोट की ताकत से हम अपने दीन और इस्लाम की रक्षा कर सकते हैं। आपसी भाईचारे को जिंदा रख सकते हैं। अनुभवहीन और निकम्मे शासकों को बदल सकते हैं। जब हमारे दीन, इस्लामी आस्था और शरीयत पर शासक वर्ग निरंतर हमला कर रहा है तो हमारे लिए यह जरूरी है कि हम पूरी तैयारी के साथ इस्लाम, दीन और अपने वजूद की रक्षा के लिए पूरी सतर्कता के साथ अपने वोटों का इस्तेमाल करें।

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (10 मई) में एक लेख प्रकाशित हुआ है, जिसका शीर्षक है, 'सियासत का इस्लामी दृष्टिकोण'। इस लेख में कहा गया है कि इस्लाम के पैगंबर हजरत मुहम्मद ने सियासत के जो उसूल निर्धारित किए थे उन उसूलों को उम्मत (पैगंबर के अनुयायियों) ने धीरे-धीरे छोड़ दिया। इसके कारण मुसलमानों को हुकूमत से हाथ धोना पड़ा और सियासत गैर-इस्लामी लोगों के हाथों में चली गई। अल्लाह के रसूल ने आज के हालात की भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी। किताब अल-ईमान के अनुसार, "फिर उनकी जगह नालायक लोग ले लेंगे। जो कहेंगे वह करेंगे नहीं। जो इनके खिलाफ हाथ, जबान और दिल से जिहाद करेगा वह सच्चा मोमिन (मुसलमान) होगा।" इसे देखते हुए यह

जरूरी है कि इस युग की राजनीति को समझना चाहिए और वर्तमान शासकों से मुक्ति पाना चाहिए।

हिंदुस्तान (10 मई) में सैयद इस्लामुद्दीन मुजाहिद का एक लेख प्रकाशित हुआ है, जिसका शीर्षक है, 'संसदीय चुनाव और मुसलमान'। लेख में कहा गया है कि भाजपा की सफलता के लिए समूचे संघ परिवार ने अपनी पूरी ताकत को झोंक दिया है। देश के दूर-दराज इलाकों में भी संघ के कार्यकर्ता अपने मिशन में लगे हुए हैं। चुनाव में सफलता के लिए फासीवादी ताकतें सुनियोजित ढ़ंग से काम कर रही हैं। भाजपा ने समूचे चुनावी अभियान को सांप्रदायिक रंग दे दिया है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मुसलमानों के खिलाफ घटिया शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में वे प्रधानमंत्री के पद पर बने रहने के नैतिक अधिकार को खो चुके हैं। भाजपा का असली एजेंडा यही है कि देश में सांप्रदायिक नफरत को फैलाकर अपनी गिरती साख को बचाया जाए, इसलिए प्रधानमंत्री और भाजपा के सभी नेता अपने भाषणों के जरिए देश में जहर फैला रहे हैं। देश के वर्तमान सियासी माहौल को बदलने के लिए यह जरूरी है कि मुस्लिम मतों को विभाजित होने से रोका जाए। अगर सेक्युलर वोट एकजुट हो जाते हैं तो भाजपा फिर से सत्ता में नहीं आ सकती। मुसलमानों का यह शरई फर्ज है कि वे अपने वोट का इस्तेमाल सांप्रदायिक तत्वों को सत्ता से हटाने के लिए करें। लेखक ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की है कि विभिन्न वर्गों द्वारा मुसलमानों में राजनीतिक जागरूकता का अभियान चलाया जा रहा है। मुसलमानों को यह मशवरा दिया जा रहा है कि वे एकजुट होकर अपने वोटों का इस्तेमाल सेक्युलर पार्टियों के पक्ष में करें ताकि इस्लाम और शरिया की रक्षा हो सके।

उर्दू टाइम्स (21 अप्रैल) ने भारतीय मुसलमानों को मशवरा दिया है कि वे एकजुट होकर सांप्रदायिक ताकतों को सत्ता से बाहर करें। यह जरूरी है कि हर मुसलमान हर हालत में अपने वोट का इस्तेमाल करे और वोट डालने में कोई कोताही न करे। मुस्लिम वोटों में विभाजन के कारण ऐसी ताकतें सत्ता में आ जाती हैं, जो मुस्लिम विरोधी होती हैं। मुसलमानों को ऐसे उम्मीदवारों को वोट देने चाहिए, जो इस्लाम के खिलाफ न हों। शरीयत की नजर में वोट शहादत और गवाही की हैसियत रखता है। इस तरह जालिम, अत्याचारी और इस्लाम दुश्मन को वोट डालना शरीयत की नजर में सबसे बड़ा जुर्म है।

अखबार-ए-मशरिक (8 मई) ने मुसलमानों को मशवरा दिया है कि वे ऐसे लोगों को अपने वोट हरगिज न दें जो यह दावा करते हैं कि इस देश का हर निवासी हिंदू है और वे मुसलमानों की अलग पहचान को खत्म करने के लिए कटिबद्ध हैं। वे इस बात पर जोर दे रहे हैं कि मुसलमान अपनी अलग पहचान को खत्म करके राष्ट्रीय धारा में शामिल हो जाएं। इस तरह से वे देश के सबसे बड़े अल्पसंख्यक वर्ग को हिंदुत्व की धारा में शामिल करना चाहते हैं।

हिंदुस्तान (17 अप्रैल) में काजी मोहम्मद फैयाज आलम कासमी का एक लेख प्रकाशित हुआ है, जिसका शीर्षक है, 'लोकतांत्रिक देश में वोट की शरई हैसियत'। इस लेख में कहा गया है

कि "इस्लामी शरिया के अनुसार मुसलमानों को उसी आदमी को वोट देना चाहिए, जिसमें इस्लाम और मिल्लत का दर्द हो। ऐसे उम्मीदवार को वोट देना सच्ची गवाही है। कुरान ने ऐसे लोगों को जन्नत देने की खुशखबरी दी है।" इस लेख में आगे कहा गया है कि मिल्लत के गद्दार, मुस्लिम दुश्मनी में मशहूर और दंगा कराने वाले व्यक्ति को वोट देना हराम है। (सूरा अल-हज 30)"

कौमी तंजीम (23 अप्रैल) में एक लेख प्रकाशित हुआ है, जिसमें मुसलमानों को यह निर्देश दिया गया है कि वे कलमा व इत्तिहाद के आधार पर एकजुट हों। मुसलमान अगर फिरकों और जमातों में विभाजित हो जाते हैं तो यह इस्लाम के लिए सबसे बड़ा खतरा है। मुसलमानों को अपने पुरखों की विरासत को बर्बाद करने से बचना चाहिए और देश में बढ़ते फासीवाद व सांप्रदायिकता को पूरी ताकत से रोकना चाहिए।

उर्दू टाइम्स (12 मई) ने एक लेख प्रकाशित किया है, जिसका शीर्षक है, 'भाजपाई मुसलमानों! अगर जरा भी शर्म हो तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो'। इसका उपशीर्षक है, 'मुसलमानों के अंदरूनी गद्दारों से कौम तबाह हो रही है'। इस लेख में कहा गया है कि अब भाजपा के नेता मुसलमानों को खुलेआम धमकियां दे रहे हैं। मुसलमानों की मस्जिदों और मदरसों को तबाह करने का बाकायदा मंचों से ऐलान कर रहे हैं और सभी मुसलमान भीगी बिल्लियों व जख्मी कुत्तों की तरह दुम दबाए बैठे हैं। जिस तरह से खौफ और धमकियों का माहौल देश में बढ़ रहा है उसमें मुसलमानों के बाद ईसाइयों, सिखों, बौद्धों, दलितों और फिर सभी पिछड़ी जातियों का नंबर आना ही है, क्योंकि अब इस देश में गुंडाराज और तानाशाही की हुकूमत कायम होने जा रही है। जो मुस्लिम नेता सरकार में हैं वे चमचागिरी, मुस्लिम दुश्मनी और कौम से गद्दारी करके भाजपा के तलवे चाट रहे हैं। अल्लाह इन भाजपाई मुसलमानों को जरूर तबाह करेगा। समाचारपत्र ने सुझाव दिया है कि हमें यह कोशिश करनी चाहिए कि हमारे वोट विभाजित न हों और सांप्रदायिक पार्टी का कोई भी उम्मीदवार चुनाव न जीत सके।

उर्दू टाइम्स (24 अप्रैल) ने अपने संपादकीय में कहा है कि इस समय देश के जो हालात हैं और लोकसभा के चुनाव में भाजपा के नेता जिस अंदाज में भाषण दे रहे हैं उससे उनके खतरनाक इरादों का अनुमान लगाया जा सकता है। ऐसे में अगर मुसलमानों ने इस बार भाजपा के खिलाफ शत-प्रतिशत मतदान न किया तो फिर याद रखो कि तुम मिट जाओगे। मोदी के कार्यकाल में जो हुआ उसे क्या कोई मुसलमान भूल सकता है? अब मौका है कि हम अपने मुस्लिम भाईयों की बेरहमी से हत्या का बदला लेने के लिए एकजुट होकर वोट दें। हर मुस्लिम मतदाता मतदान केंद्र तक जाए और भाजपा के खिलाफ वोट दे। इस बार शत-प्रतिशत वोट देकर यह साबित करो कि बगैर मुस्लिम वोटों के कोई भी पार्टी सत्ता की कुर्सी पर नहीं बैठ सकती।

मुंबई उर्दू न्यूज (25 अप्रैल) ने अपने संपादकीय में मुसलमानों को यह मशवरा दिया है कि वे इस्लाम और मुस्लिम दुश्मन ताकतों को सत्ता से वंचित करने के लिए एकजुट होकर

मतदान करें। उन्हें हर एक को खुश करने के लिए अपने वोटों का प्रसाद नहीं बांटना चाहिए। आज के राजनीतिक माहौल में मुसलमानों से यह अनुरोध है कि अगर एक सीट पर दस मुस्लिम उम्मीदवार खड़े हैं तो वे अपने वोटों को विभाजित न करें, बल्कि ऐसे उम्मीदवार को एकजुट होकर वोट दें जो सांप्रदायिक ताकतों को हराने की क्षमता रखता हो।

हिंदुस्तान (8 मई) ने अपने संपादकीय में कहा है कि नरेन्द्र मोदी सबसे विफल प्रधानमंत्री रहे हैं। उनके राज्य में अल्पसंख्यकों पर हुए अत्याचार की विदेशों में भी जमकर आलोचना की गई है। समाचारपत्र ने कहा है कि मुसलमानों को अपने वोटों का इस्तेमाल निर्णायक रूप से करना चाहिए। यह वक्त सोने का नहीं है। जागो! देश में संविधान और लोकतंत्र खतरे में है। अगर मुसलमान न जागे तो मिल्लत-ए-इस्लामिया को ऐसा नुकसान पहुंचेगा, जिसकी पूर्ति करना असंभव है। हमें मोदी, शाह और योगी के 'अबकी बार 400 पार' वाले नारे को विफल बनाना होगा। इसके लिए शर्त यह है कि मुसलमान डटकर सामूहिक रूप से भाजपा के खिलाफ वोट डालें। तभी हम मोदी के ताबूत में आखिरी कील ठोकने में सफल होंगे। याद रहे जालिम ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहता। इतिहास इस बात का गवाह है कि हिटलर जैसे तानाशाहों का अंत कैसे हुआ था? अब देश से नफरत, लव जिहाद और अत्याचार का सफाया करना होगा। मुस्लिम वोटों को विभाजित करने के लिए जिन मुस्लिम उम्मीदवारों को निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर खड़ा किया गया है उन्हें पूरी तरह से ठुकराना होगा, वरना आने वाली नस्लें तुम्हें माफ नहीं करेंगी। मदरसे, मस्जिदें और दरगाहें सुरक्षित नहीं रहेंगी। आंखें खोलने की जरूरत है। एकता में ताकत होती है और विभाजन में मौत। भाजपा को देश से मुक्त करना होगा। तभी हमें शांति मिलेगी।

उर्दू टाइम्स (10 मई) ने अपने संपादकीय में मुसलमानों से अपील की है कि वोट देने का मामला सिर्फ बयानबाजी तक ही सीमित न रह जाए। मुसलमानों को वोट देने के लिए अपने घरों से निकलना होगा। घर-घर जाकर लोगों को वोट की ताकत समझानी होगी। अब जनसभा या भाषण करने का समय नहीं रहा। मुसलमानों को एक-एक वोट की ताकत से अवगत कराना होगा। जबसे मुस्लिम वोट बिखर गए हैं तब से मुसलमानों की राजनीतिक ताकत खत्म हो गई है।

देश की मुस्लिम जनसंख्या में भारी वृद्धि

एतेमाद (10 मई) के अनुसार प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि 1950 से 2015 के बीच मुसलमानों की जनसंख्या में 43.15 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। जबकि हिंदुओं की जनसंख्या में 7.82 प्रतिशत की गिरावट आई है। इस रिपोर्ट का शीर्षक है, 'शेयर ऑफ रीलिजियस माइनॉरिटीज : ए क्रॉस कंट्री एनालिसिस (1950-2015)'। समाचारपत्र ने इस रिपोर्ट की तथ्यात्मकता पर संदेह प्रकट किया है। इस रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि 1950 में देश की जनसंख्या में जैन समुदाय की भागीदारी 0.45 प्रतिशत थी, जो अब घटकर 0.36 प्रतिशत रह गई है। वहीं, 1950 में मुस्लिम जनसंख्या 9.84 प्रतिशत थी, जो 2015 में बढ़कर 14.09 प्रतिशत हो गई। इस तरह से मुसलमानों की जनसंख्या में 43.15 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस रिपोर्ट को प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की सदस्य प्रो. शमिका रवि के नेतृत्व में तैयार किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार देश में ईसाइयों की जनसंख्या 2.24 प्रतिशत से बढ़कर 2.36 प्रतिशत हो गई है। इस तरह से 1950 से 2015 के बीच ईसाइयों की

जनसंख्या में 5.38 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। जबकि 1950 में सिखों की जनसंख्या 1.24 प्रतिशत थी, जो 2015 में बढ़कर 1.85 प्रतिशत हो गई है। इस तरह से उनकी जनसंख्या में 6.58 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

समाचारपत्र का कहना है कि यह रिपोर्ट ऐसे समय में सामने आई है जब देश में लोकसभा का चुनाव हो रहा है। इस रिपोर्ट पर विभिन्न नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। कांग्रेस के नेता राशिद अल्वी का कहना है कि यह कोई नया सर्वे नहीं है। सच्चाई तो यह है कि 1992 में मुस्लिम महिलाएं औसतन 4.4 बच्चे पैदा करती थीं, जो 2015 में घटकर 2.6 हो गई है। जबकि हिंदू महिलाएं 1992 में औसतन 3.3 बच्चे पैदा करती थीं, जो 2015 में घटकर 2.1 हो गई है। राष्ट्रीय मुस्लिम महासभा के अध्यक्ष सैयद साहेब आलम ने कहा है कि यह संकुचित धार्मिक दृष्टिकोण का परिचायक है। उन्होंने कहा कि सर्वे करने वालों ने जानबूझकर एक विशेष वर्ग को अपना निशाना बनाया है। भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि 1951 में मुस्लिम जनसंख्या कम थी, लेकिन उस समय कई प्रतिभाशाली मुस्लिम हस्तियां भी थीं। हालांकि, अब मुसलमानों की जनसंख्या में वृद्धि हुई है, लेकिन उनके बौद्धिक स्तर में गिरावट आई है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी का कहना है कि अब लोग जागरूक हो गए हैं। शिक्षित वर्ग यह समझने लगा है कि अगर बच्चे कम होंगे तो उनका लालन-पालन बेहतर ढंग से होगा।

रोजनामा सहारा (11 मई) ने अपने संपादकीय में कहा है कि धार्मिक आक्रामकता, सांप्रदायिकता और नफरत के वातावरण में सांस ले रहे भारतीयों को इसका इंतजार है कि कब साफ हवा का झोंका आएगा और जहरीला वातावरण दूर हो जाएगा। लेकिन यह आशा पूरी होती नजर नहीं आ रही है। शासक दल के लोग खुलकर सांप्रदायिकता बढ़ाते और हिंदू-मुस्लिम करते नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री के संवैधानिक पद पर बैठे हुए नरेन्द्र मोदी भी बिना किसी लिहाज के मुसलमानों पर वोट जिहाद शुरू करने का आरोप लगा रहे हैं। इसी बीच प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने एक पुरानी रिपोर्ट जारी की है। भाजपा इस रिपोर्ट को वोट बटोरने का जरिया

बनाने की हर संभव कोशिश कर रही है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ रही है और हिंदुओं की जनसंख्या कम हो रही है।

इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद यह सवाल खड़ा हो गया है कि जब मोदी सरकार ने अपने पूरे कार्यकाल में जनगणना नहीं करवाई तो वह जनसंख्या की बात किस आधार पर कर रही है? जहां तक मुस्लिम जनसंख्या का सवाल है राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) के मुताबिक मुस्लिम महिलाओं में प्रजनन दर अब तक की सबसे कम 2.4 है। जबकि 2015-2016 में यह 2.6 और 2005-2006 में 3.4 थी। इस रिपोर्ट के आने के बाद भाजपा और उसके नेताओं ने इसे चुनावी मुद्दा बनाना शुरू कर दिया है। वे यह कहकर हिंदुओं को भड़का रहे हैं कि आने वाले कुछ सालों में हिंदुस्तान में हिंदुओं की जनसंख्या समाप्त हो जाएगी, इसलिए भाजपा को वोट दिया जाए। हालांकि, इस रिपोर्ट के आने के बाद पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने चेतावनी दी है कि किसी भी समुदाय के खिलाफ भय का वातावरण बनाने के उद्देश्य से इसकी गलत व्याख्या न की जाए। इस फाउंडेशन ने 2011 की जनगणना और एनएफएचएस के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा है कि सभी धार्मिक समुदायों में प्रजनन दर कम हो रही है।

इंकलाब (12 मई) ने अपने संपादकीय में कहा है कि प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई है उसमें मुसलमानों की जनसंख्या में वृद्धि का दावा किया गया है। यह रिपोर्ट कई नजरिए से संदिग्ध है। पहला तो यह कि चुनाव अभियान के दौरान ही इसे क्यों सामने लाया गया? क्या इसे भाजपा के चुनाव अभियान को नई गति देने के लिए सामने लाया गया है? हो सकता है कि ऐसा न हो पर शक तो यही होता है, वरना यह खुलासा कुछ महीने पहले ही हो सकता था या कुछ महीने बाद। अगर केंद्र सरकार को जनसंख्या की इतनी ही फिक्र थी तो उसने जनगणना क्यों नहीं करवाई? यह जनगणना 2021 में होने वाली थी। कोरोना महामारी को गुजरे भी दो वर्ष हो चुके हैं। अभी तक सरकार ने जनगणना क्यों नहीं करवाई? बता दें कि अंतिम बार जनगणना 2011 में हुई थी। अब पिछले दरवाजे से एक कथित परिषद की रिपोर्ट को लाया गया है। हालांकि, मुस्लिम जनसंख्या का हौवा खड़ा करके राजनीतिक लाभ उठाने का प्रयास बहुत पुराना है। देश के बहुसंख्यक समाज में यह भय पैदा करने का प्रयास काफी समय से किया जा रहा है कि अगर मुस्लिम जनसंख्या में वृद्धि की यही गति रही तो वह दिन दूर नहीं जब बहुसंख्यक समुदाय अल्पसंख्यक बन जाएगा और मुस्लिम अल्पसंख्यक से बहुमत में बदल जाएंगे। हमारा सवाल यह है कि अगर आंकड़ा जारी ही करना है तो सिर्फ जनसंख्या का ही आंकड़ा क्यों जारी हो? बेरोजगारी, महंगाई और नोटबंदी का भी विवरण सार्वजनिक होना चाहिए। वैसे तो केंद्र सरकार के पास अन्य महत्त्वपूर्ण मुद्दे भी हैं, जैसे मणिपुर के हालात, किसानों की समस्या आदि। इन पर तो कोई व्हाइट पेपर आज तक जारी नहीं हुआ। हमारी राय है कि चुनाव आयोग को इस संदर्भ में तुरंत सरकार के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए।

अखबार-ए-मशरिक (12 मई) ने अपने संपादकीय में कहा है कि जनसंख्या किसी भी देश की समस्या नहीं होती, लेकिन हिंदुस्तान में इसे एक चुनावी मुद्दा बना दिया गया है। भाजपा हिंदुओं की जनसंख्या के घटने और मुसलमानों की जनसंख्या के बढ़ने पर इस तरह चिंता प्रकट कर रही है, जैसे हिंदू अल्पसंख्यक बन जाएंगे और मुस्लिम बहुसंख्यक बन जाएंगे। विशेषज्ञों ने इस रिपोर्ट पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए कहा है कि जब अभी तक जनगणना ही नहीं हुई तो इन आंकड़ों को कैसे आधिकारिक माना जाए? इस मुद्दे पर भारत सरकार को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी

चाहिए। मीडिया में इस रिपोर्ट के आने के बाद जिस तरह से राजनीति शुरू हो गई है और भाजपा के नेताओं ने इस पर बयानबाजी शुरू कर दी है उससे साफ है कि यह मामला राजनीतिक हथियार बनने वाला है।

इस रिपोर्ट के आने के बाद आचार्य शुक्ला ने कहा है कि अगर हिंदुओं की जनसंख्या इतनी कम हो रही है तो केंद्र सरकार को इस मुद्दे पर सख्त फैसले करने होंगे। शुक्ला ने केंद्र सरकार को यह सलाह दी है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू किया जाए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जहर उगलते हुए कहा है कि विपक्षी पार्टियां हिंदुस्तान को इस्लामी रियासत बनाने की साजिश कर रही हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि इस रिपोर्ट को जारी करने का एकमात्र लक्ष्य यह है कि भाजपा मुसलमानों की जनसंख्या का भय पैदा करके हिंदुओं का वोट बटोरकर फिर से सत्ता में आ सके। हैरानी की बात यह है कि इस रिपोर्ट पर अभी तक विपक्षी नेता चुप हैं और भाजपा के पेट में मरोड़ हो रहा है। दरअसल, यह सिर्फ मुस्लिम दुश्मनी है और कुछ नहीं। ■

इस्लामी मदरसे या यौन शोषण के अड्डे?

हमारा समाज (14 मई) के अनुसार पुलिस ने अजमेर स्थित एक मस्जिद के इमाम मौलाना मोहम्मद माहिर की हत्या का खुलासा किया है। पुलिस का दावा है कि इमाम की हत्या उसके ही मदरसे के छह छात्रों ने की है, जो इमाम द्वारा जबरन यौन शोषण से परेशान थे। पुलिस ने इस संबंध में मदरसे के छह छात्रों को गिरफ्तार किया है। अजमेर के पुलिस अधीक्षक देवेन्द्र कुमार बिश्नोई ने इस मामले का सनसनीखेज खुलासा करते हुए कहा है कि इस मदरसे का इमाम छात्रों

के साथ जबरन समलैंगिक संबंध स्थापित करता था। 30 वर्षीय इमाम मौलाना मोहम्मद माहिर रामगंज थाना क्षेत्र के मोहल्ला कंचन नगर स्थित मोहम्मदी मस्जिद के परिसर में बने एक इस्लामी मदरसे में छात्रों को पढ़ाता था। मदरसे के छात्रों ने प्रतिदिन के यौन शोषण से मुक्ति पाने के लिए इमाम की हत्या करने की योजना बनाई।

26 अप्रैल की रात को छात्रों ने एक स्टोर से नींद की गोलियां खरीदी और उन्हें पीसकर बूंदी के रायते में मिला दिया। इसके बाद उन्होंने इसे इमाम को खाने के लिए दिया। जब इमाम बेहोश हो गया तो छात्रों ने मस्जिद के पीछे पड़े कबाड़ से लाठियां लेकर इमाम के सिर पर मारना शुरू कर दिया। जब घायल इमाम ने छात्रों के चंगुल से बचने का प्रयास किया तो सभी छात्रों ने मिलकर इमाम के गले में फंदा डालकर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद छात्रों ने यह योजना बनाई कि अगर कोई पूछेगा कि इमाम का कत्ल कैसे हुआ तो वे सब यही बताएंगे कि काले कपड़े पहने हुए तीन नकाबपोश बदमाश आए और उन्होंने छात्रों को एक कमरे में बंद कर दिया। इसके बाद उन्होंने लाठियों से मारकर इमाम की हत्या कर दी। बाद में छात्रों ने यही कहानी मस्जिद के आसपास रहने वाले लोगों को सुनाई। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल की जाने वाले रस्सी और मोबाइल फोन को छात्रों से बरामद कर लिया है। जबकि इमाम के परिवारजनों का कहना है कि पुलिस की कहानी विश्वसनीय नहीं है। ■

औरंगाबाद और उस्मानाबाद के नाम बदलने की उच्च न्यायालय द्वारा मंजूरी

औरंगाबाद टाइम्स (9 मई) के अनुसार बॉम्बे उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार द्वारा औरंगाबाद और उस्मानाबाद के नाम बदलने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने औरंगाबाद का नाम छत्रपति संभाजीनगर और उस्मानाबाद का नाम धाराशिव रखने का फैसला किया था। दोनों याचिकाकर्ताओं मुश्ताक अहमद और मोहम्मद हिशाम उस्मानी ने उच्च न्यायालय के फैसले पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि वे इस फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देंगे। मुश्ताक अहमद ने कहा कि जब शिवसेना सत्ता में थी तो तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर जोशी ने औरंगाबाद का नाम संभाजीनगर रखने की घोषणा की थी, जिसे हमने उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। हालांकि, उच्च न्यायालय ने हमारी याचिका खारिज कर दी थी, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय से हमें न्याय मिला था। एक अन्य याचिकाकर्ता मोहम्मद हिशाम उस्मानी ने कहा कि उच्च न्यायालय का यह फैसला आश्चर्यजनक है। हमारे वकीलों ने अदालत में सभी प्रमाण प्रस्तुत किए थे, लेकिन हमें इंसाफ नहीं मिला।

गौरतलब है कि पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने जून 2022 में महाविकास अघाड़ी मंत्रिमंडल की अंतिम बैठक में इन जिलों के नामों को बदलने का फैसला किया था। इसके बाद उनकी सरकार का तख्ता पलट दिया गया था। एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री बनने के बाद नई सरकार ने औरंगाबाद का नाम छत्रपति संभाजीनगर और उस्मानाबाद का नाम धाराशिव रखने का फैसला किया था। समाचारपत्र का कहना है कि राजस्व क्षेत्र का स्थानांतरण महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता, 1966 की धारा 4 के तहत होता है, जो राज्य सरकार को किसी भी राजस्व क्षेत्र की सीमा में परिवर्तन करने, राजस्व सीमा को खत्म करने या उसका नाम बदलने की अनुमति देता है। 24 फरवरी 2023 को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इन दोनों शहरों के नामों को बदलने पर अपनी मुहर लगा दी थी, लेकिन

महाराष्ट्र राजस्व प्राधिकरण नाम बदलने की प्रक्रिया को पूरा नहीं कर सकी थी। बाद में राजस्व प्राधिकरण ने एक अधिसूचना जारी करके आम लोगों से इस संबंध में आपत्तियां मांगी थी। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने 23 अगस्त 2023 को याचिकाओं को इस आधार पर खारिज कर दिया था, क्योंकि नए नामों की अधिकृत घोषणा नहीं की गई थी। उच्च न्यायालय द्वारा इन याचिकाओं को खारिज करने के दो सप्ताह बाद नए नामों की घोषणा की गई, जिसे इन दोनों याचिकाकर्ताओं ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी।

याचिकाकर्ताओं ने यह दावा किया कि इन दोनों शहरों के नाम बदलने से पहले जनभावनाओं को ध्यान में नहीं रखा गया और संविधान का उल्लंघन किया गया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि मुसलमानों के प्रति नफरत की भावना के तहत राजनीतिक लाभ उठाने के लिए नामों में परिवर्तन किया गया है। इस संदर्भ में जो जनहित याचिका दायर की गई थी उसमें कहा गया था कि राज्य सरकार के इस फैसले से राज्य में सांप्रदायिक तनाव बढ़ेगा। इसके साथ ही यह भी आरोप लगाया गया था कि महाराष्ट्र में वोटों का ध्रुवीकरण करके राजनीतिक लाभ उठाने के उद्देश्य से इन शहरों के ऐतिहासिक मुस्लिम नामों को बदलने का फैसला किया गया है। राज्य सरकार ने इस तर्क को खारिज करते हुए कहा था कि छत्रपति संभाजी महाराष्ट्र के एक सर्वमान्य हस्ती हैं, इसलिए नाम परिवर्तन में कोई धार्मिक रंग नहीं है। राज्य सरकार ने उस्मानाबाद का नाम बदलने की याचिका का विरोध करते हुए एक शपथपत्र उच्च न्यायालय में दिया था, जिसमें यह दावा किया गया था कि उस्मानाबाद का नाम बदलने का जश्न शहर के अधिकांश नागरिकों ने मनाया है और इसके कारण वहां पर कोई सांप्रदायिक तनाव पैदा नहीं हुआ है। इसके बाद उच्च न्यायालय ने इन दोनों याचिकाओं को खारिज कर दिया।

टिप्पणी: स्वतंत्रता के बाद से अब तक देश के 100 से अधिक नगरों के नाम बदले जा चुके हैं। स्वतंत्रता के बाद यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा व अवध का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रखा गया था। 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य बना और इसका नाम उत्तरांचल पड़ा। बाद में इसका नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। 1996 में मद्रास का नाम बदलकर चेन्नई किया गया। 1995 में बंबई का नाम बदलकर मुंबई और पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता का नाम बदलकर कोलकाता कर दिया गया। इसी तरह से बंगलौर का नाम बदलकर बेंगलुरु किया गया। पूना का नाम बदलकर पुणे किया गया। इसी तरह से महाराष्ट्र के अनेक जिलों और स्थानों के नामों को भी बदला गया। जहां तक उत्तर प्रदेश का संबंध है, वहां पर एक दर्जन से भी अधिक नगरों के नाम बदले जा चुके हैं। इनमें फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या और इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज रखा जा चुका है। वहीं, मुगलसराय का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर रखा गया है।

नाम बदलने के अभियान की शुरुआत समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया ने की थी।

उनके आंदोलन के कारण अंग्रेज शासकों के नाम पर रखी गई राजधानी दिल्ली की अनेक सड़कों के नाम बदले गए थे। इसके अतिरिक्त संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं के उग्र आंदोलन के दौरान राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों में लगे हुए विदेशी शासकों की चार दर्जन से अधिक प्रतिमाओं के साथ तोड़फोड़ की गई थी। इसके बाद प्रशासन ने इन विदेशी शासकों की प्रतिमाओं को सार्वजनिक स्थानों से हटाने का निर्णय लिया था। खास बात यह है कि लोहिया ने किसी भी मुगल या विदेशी मूल के मुस्लिम शासकों के नाम पर रखे गए मार्गों के नाम बदलने का अभियान नहीं चलाया था। बाद में जनसंघ के नेताओं ने विदेशी मूल के सभी शासकों के नामों पर रखे गए मार्गों के नाम बदलने के लिए आंदोलन चलाया था। इसके बाद नगर निगम और नई दिल्ली नगरपालिका ने भी विदेशी शासकों के नाम पर रखे गए अनेक मार्गों के नाम बदलने का फैसला किया था। हाल ही में अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ रखने का प्रस्ताव पारित किया गया है। ■

भाजपा नेताओं की हत्या की साजिश के आरोप में मौलाना गिरफ्तार

उर्दू टाइम्स (6 मई) के अनुसार भाजपा के विभिन्न नेताओं की हत्या की साजिश रचने के आरोप में एक 27 वर्षीय मौलवी को सूरत से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का नाम मौलवी सोहेल अबू बकर तिमोल है। उस पर सुदर्शन टीवी के मुख्य संपादक सुरेश चव्हाणके, भाजपा के विधायक टी. राजा सिंह और पार्टी की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा को जान से मारने की धमकी देने का आरोप है। पुलिस का दावा है कि इस मौलवी ने सनातन संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपदेश राणा की हत्या की साजिश रची थी। उसने उपदेश राणा को 15 से अधिक बार फोन किया था और उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी। गौरतलब है कि हिंदू

समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमलेश तिवारी की 2019 में लखनऊ में हत्या कर दी गई थी। पुलिस का दावा है कि नेपाल और पाकिस्तान में बैठे पाकिस्तानी गुप्तचर विभाग के अधिकारियों ने इन नेताओं की हत्या करवाने के लिए एक करोड़ की सुपारी दी थी। बातचीत की रिकॉर्डिंग से पता चलता है कि मौलवी अबू बकर उपदेश राणा की जल्द से जल्द हत्या करना चाहता था ताकि चुनाव के दौरान सांप्रदायिक माहौल बन सके। सूरत के पुलिस आयुक्त अनुपम सिंह गहलोत ने पत्रकारों को बताया कि आरोपी एक प्राइवेट फैक्टरी में काम करता था। इसके अतिरिक्त वह एक मदरसे में बच्चों को पढ़ाता भी था। आरोपी विदेशी नंबर से अपना मोबाइल चला रहा था। वह सोशल मीडिया के माध्यम से पाकिस्तानी गुप्तचर एजेंसियों के संपर्क में आया था। उनके निर्देश पर उसने नेपाल में बैठे एक पाकिस्तानी एजेंट शहबाज से भी संपर्क किया था। पुलिस आयुक्त ने कहा कि हम इस संदर्भ में जांच पड़ताल कर रहे हैं। मौलवी अबू बकर ने इस साल के मार्च महीने में उपदेश राणा को कई बार जान से मारने की धमकी दी थी। आरोपी ने लोओस के एक वर्चुअल नंबर के जरिए पाकिस्तान और नेपाल के टेलीफोन नंबरों पर ग्रुप कॉल किया था। आरोपी के मोबाइल से मिली तस्वीरों और अन्य विवरण से यह पता चलता है कि वह भाजपा और संघ परिवार से संबंधित कुछ लोगों को निशाना बनाने की तैयारी कर रहा था। इसके लिए वह फंड इकट्ठा करने और हथियार खरीदने की योजना बना रहा था। पुलिस ने मौलवी अबू बकर के खिलाफ धार्मिक नफरत फैलाने, झूठे दस्तावेजों का इस्तेमाल करने और आईटी एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है।

मुंबई उर्दू न्यूज (6 मई) के अनुसार आरोपी एक धागा फैक्टरी में प्रबंधक के रूप में काम कर रहा था। वह काफी समय से सूरत के कठोर गांव में रह रहा था। आरोपी को दस दिनों के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है।

हिंदुस्तान (6 मई) के अनुसार अपराध शाखा की टीम पिछले कुछ महीने से इस मामले की जांच कर रही थी। यह मौलवी अपने समर्थकों से कोड वर्ड में बात करता था और पाकिस्तान व नेपाल में बैठे हुए विदेशी जासूसों के संपर्क में था।

मुंबई उर्दू न्यूज (7 मई) ने अपने संपादकीय में कहा है कि गुजरात के सूरत से एक

आलिम-ए-दीन (धार्मिक विद्वान) की गिरफ्तारी से लोगों को अक्षरधाम आतंकी हमले के सिलसिले में फंसाए गए मुफ्ती अब्दुल कय्यूम की याद आ गई होगी। मुफ्ती पर पाकिस्तानी आतंकियों से संपर्क रखने और अक्षरधाम पर हुए हमले की योजना में शामिल होने के गंभीर आरोप लगाए गए थे, लेकिन अदालत ने उन्हें बरी कर दिया था। मुफ्ती साहब बरी तो हुए, लेकिन उनकी जिंदगी के 11 साल जेल की सलाखों के पीछे बर्बाद हो गए। उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी, जिसे पढ़ कर पता चलता है कि मुसलमानों के साथ जेल में और पुलिस द्वारा कैसा व्यवहार किया जाता है। मुफ्ती अकेले नहीं हैं। ऐसे दर्जनों लोग हैं, जिन्हें आरोपी करार देकर पुलिस ने झूठे आरोपों में फंसाया, लेकिन अदालतों ने उन्हें बरी कर दिया। आरोप यह है कि जांच एजेंसियां और पुलिस यह सब जानबूझकर करती हैं। यह जानते हुए भी कि जिसे गिरफ्तार किया गया है वह बेगुनाह है। बार-बार यह कहा जाता है कि पुलिस और जांच एजेंसियों का एकमात्र लक्ष्य मुसलमानों को आतंकी के तौर पर पेश करना होता है। जब कोई सेक्युलर मिजाज जांच अधिकारी ईमानदारी से जांच करता है तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। स्वर्गीय हेमंत करकरे का उदाहरण सामने है, जिन्होंने अपनी जांच के जरिए मालेगांव बम धमाका के असली आरोपियों की हकीकत बयान कर दी थी। मौलाना सुहैल अबू बकर पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। जैसे कि पाकिस्तान से संपर्क रखना और हथियार खरीदना। क्या कोई आलिम-ए-दीन इस तरह की कोई योजना बना सकता है? यह सवाल इसलिए है कि पहले भी ऐसे आरोपों में पुलिस ने जिन आरोपियों को पकड़ा था, वे अदालतों से बरी हो चुके हैं। उनके खिलाफ लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद साबित हुए। जिन भाजपा नेताओं के नाम लिए गए हैं वे इस्लामोफोबिया के मरीज हैं। उन्हें कोई भी मुसलमान गंभीरता से नहीं लेता है। उनकी हत्या की साजिश रचना तो बहुत दूर की बात है। सवाल यह है कि क्या पुलिस ईमानदारी और निष्पक्षता से मौलाना सुहैल अबू बकर के खिलाफ जांच कर पाएगी?

विश्व

पाक अधिकृत कश्मीर में बढ़ती महंगाई के खिलाफ भीषण जनाक्रोश

सहाफत (14 मई) के अनुसार पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में बढ़ती महंगाई के खिलाफ उपजे जनाक्रोश ने भीषण रूप ले लिया है। ताजा सूचना के अनुसार पुलिस की गोली से कम-से-कम चार प्रदर्शनकारियों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। इस प्रदर्शन का आयोजन करने वाली संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी और पाक अधिकृत कश्मीर सरकार के बीच वार्ता विफल हो गई है। संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी के नेता उमर नजीर कश्मीरी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मुजफ्फराबाद की ओर किए गए लॉन्ग मार्च के दौरान पिछले पांच दिनों में पुलिस द्वारा जो हिंसा की गई है उसे देखते हुए संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी ने कथित आजाद कश्मीर सरकार के साथ वार्ता को भंग करने का फैसला किया है। पाक अधिकृत कश्मीर की विस्फोटक स्थिति को देखते हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अपने मंत्रिमंडल की आपातकालीन बैठक बुलाई है। उमर नजीर ने आरोप लगाया है कि पाकिस्तान सरकार उनकी मांगों के बारे में गंभीर नहीं है। बातचीत की विफलता के बाद प्रदर्शनकारियों ने रावलकोट से मुजफ्फराबाद तक के प्रस्तावित लॉन्ग मार्च को दोबारा शुरू कर दिया है। इसे रोकने के लिए प्रशासन ने मुजफ्फराबाद जाने वाली सभी सड़कों पर पाकिस्तानी रेंजरों का जबर्दस्त पहरा लगा दिया गया है और सड़कों पर कंटेनर खड़े कर दिए गए हैं। मुजफ्फराबाद डिवीजन के सभी सरकारी, निजी और शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने की घोषणा की गई है। इसके साथ ही पाक अधिकृत कश्मीर में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं।

गौरतलब है कि ये उग्र प्रदर्शन खाद्य वस्तुओं, गैस और पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों के खिलाफ किए जा रहे हैं। इससे पूर्व मीरपुर में प्रदर्शनकारियों की ओर से चलाई गई गोली से एक पुलिस अधिकारी की मौत हो गई। इसके अतिरिक्त

पुलिस के साथ हुई झड़पों में सौ से अधिक लोग घायल हो गए हैं। प्रदर्शनकारियों ने अनेक सरकारी भवनों और वाहनों को आग के हवाले कर दिया है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के प्रधानमंत्री चौधरी अनवरुल हक को रावलपिंडी तलब किया है। शहबाज शरीफ ने कहा है कि हम एक लोकतांत्रिक देश होने के नाते अपनी जनता से शांतिपूर्ण ढ़ंग से बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन कानून को अपने हाथ में लेने वालों और सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाने वालों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की जनता से अपील की है कि वे कानून को अपने हाथ में न लें और पुलिसकर्मियों पर हमले बंद कर दें। उन्होंने कहा कि सरकार के साथ बातचीत के जरिए कोई रास्ता निकाला जाए ताकि पाकिस्तान की अखंडता बनी रहे।

तासीर (13 मई) के अनुसार पाक अधिकृत कश्मीर में विस्फोटक स्थिति को देखते हुए पाकिस्तानी रेंजर्स को ड्यूटी पर तैनात कर दिया गया है। मोबाइल सेवा और बिजली बंद होने के कारण पूरा जनजीवन ठप हो गया है। पाकिस्तानी मीडिया ने दावा किया है कि इस आंदोलन के संचालकों में मतभेद उत्पन्न हो गए हैं। संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी के एक सदस्य साजिद जग्वाल ने कहा है कि वे आंदोलन को शांतिपूर्ण ढंग से चलाने के पक्ष में हैं और हाल ही में मीरपुर में हुई हिंसा में संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी का कोई हाथ नहीं है। अंजुमन ताजरान के अध्यक्ष साहबजादा वकास ने कहा है कि हमारा आंदोलन सरकार या किसी संस्था के खिलाफ नहीं है। यह देश हमारा है। यह सेना हमारी है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि आंदोलनकारियों की उचित मांगों को स्वीकार किया जाए, क्योंकि महंगाई से जनता त्रस्त है।

रोजनामा सहारा (14 मई) के अनुसार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पाक अधिकृत कश्मीर की विस्फोटक स्थिति पर विचार करने के लिए इस्लामाबाद में उच्चस्तरीय बैठक बुलाई थी। इस बैठक में पााक अधिकृत कश्मीर के प्रधानमंत्री अनवरुल हक, मुस्लिम लीग (नवाज) के नेता राजा फारूक हैदर और कश्मीर मामलों के मंत्री अमीर मुकाम ने भाग लिया। इस बैठक के बाद प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पाक अधिकृत कश्मीर को 23 अरब रुपये की विशेष ग्रांट देने की घोषणा की है। पाक अधिकृत कश्मीर में अशांत स्थिति पर टिप्पणी करते हुए भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कहा है कि एक दिन हम पाक अधिकृत कश्मीर पर गैरकानूनी कब्जे को खत्म करके उसे भारत में शामिल करेंगे।

पाकिस्तानी अखबार **जंग** (14 मई) के अनुसार पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने कहा है कि कुछ पड़ोसी देश पाकिस्तान

की एकता को खंडित करने का जो प्रयास कर रहे हैं उसे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अपनी बुद्धिमता से विफल बना दिया है। हम अल्लाह की मेहरबानी से हर साजिश को विफल बनाएंगे। हम ऐसे कदम उठाएंगे, जिससे पाकिस्तान दुश्मन ताकतों को मुंह की खानी पड़ेगी। उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान की वर्तमान सरकार देश की आर्थिक बदहाली को दूर करने के लिए ठोस कदम उठा रही है। विदेशी पूंजी निवेश दिन-प्रतिदिन बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले साल महंगाई दर 36 प्रतिशत थी, जो अब घटकर 17 प्रतिशत रह गई है। शहबाज शरीफ की सरकार पाकिस्तान की बेहतरी के लिए जो कदम उठा रही है वह पाकिस्तान दुश्मनों और यहां के विपक्षी दलों के नेताओं को पसंद नहीं आ रही है। उन्होंने कहा कि हम पाक अधिकृत कश्मीर की ओर किसी को देखने नहीं देंगे और हर दुश्मन की आंख निकाल लेंगे।

पाकिस्तानी मूल के सादिक खान लंदन के महापौर निर्वाचित

हिंदुस्तान (9 मई) के अनुसार पाकिस्तान के एक बस ड्राइवर के बेटे सादिक खान ने तीसरी बार लंदन के महापौर पद की शपथ लेकर नया इतिहास रचा है। अपने पद की शपथ लेने के दौरान उन्होंने अपने पिता को श्रद्धांजली अर्पित की। उन्होंने कहा कि उनके पिता ने एक बस चालक के रूप में लंदन वासियों की वर्षों तक सेवा की थी। जब उनके पिता ब्रिटेन आए थे तो उस समय एशियाई लोगों और विशेष रूप से पाकिस्तानियों के खिलाफ यहां पर नफरत का वातावरण था। दुकानों और अतिथि गृहों की खिड़कियों पर यह लिखा होता था कि 'कालों, आयरिश लोगों और कुत्तों का प्रवेश वर्जित है'। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद मैं पहली बार दक्षिण लंदन की स्टेट काउंसिल का सदस्य बना।

गौरतलब है कि 53 वर्षीय सादिक खान दक्षिण लंदन के टूटिंग में पैदा हुए थे। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से कानून की डिग्री हासिल की। उन्होंने राजनीति की शुरुआत वंड्सवर्थ काउंसिल के सदस्य बनकर की। 1970 में पैदा होने वाले सादिक खान के पिता पाकिस्तान से ब्रिटेन आए थे। तब से वे काउंसिल की ओर से मिले एक मामूली फ्लैट में रह रहे हैं। सादिक

खान 2016 में पहली बार लंदन के महापौर निर्वाचित हुए थे। इस चुनाव में उन्होंने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पत्नी जेमिमा गोल्डस्मिथ के भाई जैक गोल्डस्मिथ को हराया था। महापौर बनने से पहले वे हाउस ऑफ कॉमन्स (2005-2016) के सदस्य भी रहे। हाल के चुनावी अभियान में उन्होंने यह वायदा किया था कि बच्चों को स्कूलों में मुफ्त भोजन उपलब्ध कराया जाएगा और संपत्ति के किराए में वृद्धि नहीं की जाएगी। इसके अतिरिक्त उन्होंने शांति व्यवस्था में सुधार के लिए पुलिस की संख्या में वृद्धि करने और आवास के लिए अतिरिक्त फ्लैट बनाने का भी वायदा किया था।

हिंदुस्तान (6 मई) के अनुसार लंदन के महापौर चुनाव में ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी को जबर्दस्त झटका लगा है। इस चुनाव में लेबर पार्टी के सादिक खान को 10 लाख से ज्यादा वोट मिले और 44 प्रतिशत मतदाताओं ने उन्हें वोट दिए। जबकि उनकी विरोधी कंजर्वेटिव पार्टी की सुसान हॉल को उनसे 11 प्रतिशत कम मत प्राप्त हुए। इस बार का महापौर चुनाव काफी कड़ा था, क्योंकि पिछले कुछ सालों में लंदन में अपराधों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। हाल ही में चाकूबाजी की अनेक घटनाएं भी हुई थीं। गौरतलब है कि लंदन में पुलिस महापौर के अधीन होती है। इसके चलते सादिक खान को काफी आलोचना का सामना करना पड़ा था। सादिक खान से लंदनवासी इसलिए भी निराश थे, क्योंकि उन्होंने नगर में फिलिस्तीनी जनता के पक्ष में होने वाले प्रदर्शनों की खुली अनुमति दे दी थी। सादिक खान ने यह भी वायदा किया है कि लंदन में बढ़ते हुए प्रदुषण को रोकने के लिए वे कारों के मालिकों पर लगने वाले जुर्माने की राशि में भारी वृद्धि करेंगे।

हाल के चुनाव में लेबर पार्टी के महापौर उम्मीदवारों ने ब्रिटेन के लिवरपूल, ग्रेटर मैनचेस्टर और वेस्ट यॉर्कशायर में पुनः जीत प्राप्त की है। जबकि वेस्ट मिडलैंड्स में कंजर्वेटिव पार्टी के वर्तमान महापौर को भी लेबर पार्टी के उम्मीदवार ने हरा दिया है। लेबर पार्टी ने इस चुनाव में इंग्लैंड के नगरों की अनेक ऐसी काउंसिलों पर भी कब्जा कर लिया है, जहां पर कई दशक से कंजर्वेटिव पार्टी के महापौरों के हाथ में सत्ता थी। हालांकि, कुछ क्षेत्रों में लेबर पार्टी के उम्मीदवारों को हार का सामना भी करना पड़ा है। इसका कारण यह है कि मुस्लिम मतदाताओं ने लेबर पार्टी को अपने मत नहीं दिए हैं, क्योंकि लेबर पार्टी को इजरायल समर्थक माना जाता है। गौरतलब है कि सादिक खान ने लंदन के महापौर की सीट अनेक उम्मीदवारों के साथ हुए कड़े मुकाबले के बाद जीती है। उन्हें इस बार कंजर्वेटिव पार्टी की नेता सुसान हॉल, लिबरल डेमोक्रैट्स पार्टी के उम्मीदवार रोब ब्लैकी, रिफॉर्म यूके पार्टी के हावर्ड कॉक्स, ग्रीन पार्टी की जोए गारबेट, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की एमी गैलाघेर और ब्रिटेन फर्स्ट के निक स्कैनलॉन का भी मुकाबला करना पड़ा है। ■

अफगानिस्तान में नमाजियों पर अंधाधुंध फायरिंग

सहाफत (1 मई) के अनुसार कुछ आतंकियों ने पश्चिमी अफगानिस्तान की एक मस्जिद में घुसकर नमाजियों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिसमें कम-से-कम छह लोग मारे गए। एक सरकारी प्रवक्ता ने इस घटना की पुष्टि करते हुए कहा है कि मारे गए सभी लोग शिया संप्रदाय से संबंधित थे। अफगानिस्तान के गृह मंत्रालय के प्रवक्ता अब्दुल मतीन कानी ने 'एएफपी' के प्रतिनिधि को काबुल में बताया कि यह हमला हेरात प्रांत के गुजरा जिले की एक मस्जिद में हुआ है। रात के नौ बजे कुछ सशस्त्र हमलावर एक मस्जिद में घुसे और वहां पर नमाज पढ़ रहे लोगों पर उन्होंने अंधाधुंध गोलियां चलाई। बताया जाता है कि इस हमले के पीछे सुन्नी आतंकी संगठन आईएसआईएस का हाथ है। इससे पहले भी यह आतंकी संगठन एक दर्जन से अधिक मस्जिदों पर हमला करके 200 से अधिक नमाजियों की हत्या कर चुका है। इनमें से अधिकांश शिया या हजारा संप्रदाय से संबंधित थे। गुजरा से मिली सूचना के अनुसार तीन सशस्त्र आतंकियों ने इस हमले को अंजाम दिया है। इस हमले में मारे गए मस्जिद के इमाम के भाई इब्राहिम अखलाकी ने बताया कि दो सशस्त्र लोग मस्जिद के बाहर पहरा देने लगे। जबकि तीसरे ने मस्जिद में घुसकर गोलियां चलाई, जिसमें कम-से-कम छह लोग मारे गए और कई लोग घायल हो गए। सैयद मुर्तजा हुसैनी ने दावा किया कि अप्रैल महीने में कंधार की एक मस्जिद में हुए आत्मघाती हमले में 30 लोग मारे गए थे। उन्होंने कहा कि इन हमलों के पीछे प्रतिबंधित आतंकी संगठन आईएसआईएस का हाथ है, जो तालिबान सरकार के खिलाफ अभियान चला रहा है।

इंकलाब (9 मई) के अनुसार अफगानिस्तान के नगर फैजाबाद में आत्मघाती हमलावरों ने सेना के एक वाहन पर हमला किया। इस हमले में दो वाहनों को क्षति पहुंची और छह सैनिक मौके पर मारे गए। जबकि एक दर्जन सैनिक घायल हो गए। बताया जाता है कि यह धमाका रिमोर्ट कंट्रोल द्वारा किया गया था। अभी तक इस हमले की जिम्मेवारी किसी भी संगठन ने स्वीकार नहीं की है। बता दें कि 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद सुन्नी आतंकी

संगठन आईएसआईएस का खुरासान चैप्टर अफगानिस्तान में सैन्य ठिकानों, फौजी काफिलों, इमामबाड़ों और सरकारी कार्यालयों को अपना निशाना बना रहा है, जिसमें अब तक 500 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। तालिबान सरकार ने आतंकवादियों की तलाश शुरू कर दी है। अफगान सरकार के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने इन हमलों पर चिंता प्रकट की है और कहा है कि इन घटनाओं के पीछे विदेशी सूत्रों का हाथ है, जो अफगानिस्तान में शिया-सुन्नी दंगे भड़काना चाहते हैं।

इंकलाब (2 मई) के अनुसार संयुक्त राष्ट्र ने अपनी एक रिपोर्ट में अफगानिस्तान में बढ़ते मानवाधिकारों के हनन की घटना पर चिंता प्रकट की है और कहा है कि अफगान सरकार द्वारा जनता के मूलभूत अधिकारों का हनन किया जा रहा है। अफगान राष्ट्रीय सुरक्षा बल के 800 से अधिक पूर्व कर्मचारियों की सामूहिक हत्या की जा चुकी है। नवंबर 2022 से अप्रैल 2023 तक अफगानिस्तान में बच्चों और महिलाओं को सरेआम कोड़े मारने की 43 घटनाएं हुई हैं। तालिबान सरकार ने 58 महिलाओं, 274 पुरुषों और बच्चों को सार्वजनिक तौर पर कोड़े मारने की सजा दी है। अगस्त 2021 से लेकर अब तक मीडिया की स्वतंत्रता के हनन की 2045 घटनाएं दर्ज हुई हैं। इस दौरान 61 पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया है और 130 पत्रकारों को अफगानिस्तान से निष्कासित किया गया है। तालिबान द्वारा नाबालिग किशोरियों को जबरन निकाह के लिए मजबूर किया जा रहा है। तालिबान सरकार के शासनकाल में शियाओं के हजारा संप्रदाय से संबंधित 334 लोग मारे गए हैं और 631 घायल हुए हैं। नाबालिग बच्चों को जबरन मजदूरी के लिए मजबूर करने की 4519 घटनाएं हुई हैं। इस रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि अफगान सरकार ने महिलाओं के अकेले यात्रा करने पर भी प्रतिबंध लगाया है, जो मानवाधिकारों का हनन है।

ईरान का अफगानिस्तान सीमा को सील करने का फैसला

रोजनामा सहारा (4 मई) के अनुसार ईरान ने अफगानिस्तान से लगने वाली अपनी सीमा को सील करने का फैसला किया है। ईरान के छह प्रांतों में अफगानिस्तान सीमा को सील किया जाएगा। ईरान सरकार के एक प्रवक्ता ने तेहरान में बताया कि 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने के बाद अफगानिस्तान इस्लामी आतंकियों का प्रमुख केंद्र बन गया है और वे पड़ोसी देशों में खून की होली खेल रहे हैं। यही कारण है कि पाकिस्तान इससे पहले ही अफगान सीमा पर बाड़ लगाने की शुरुआत कर चुका है और आशा है कि अगले छह महीने में पाकिस्तान सरकार यह काम पूरा कर लेगी। इस समय अफगानिस्तान में जो इस्लामी आतंकी गुट सक्रिय हैं उनमें तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी), आईएसआईएस और जैश अल-अदल आदि प्रमुख हैं।

ईरानी गृह मंत्रालय के अनुसार जिन ईरानी प्रांतों में अफगानिस्तान से लगने वाली सीमा को सील किया जा रहा है उनमें माजंदरान, गुलिस्तान, रिजवी खुरासान, उत्तरी खुरासान, दक्षिण खुरासान और समनान शामिल हैं। ईरानी ग्राउंड फोर्स के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल हसन मक्फी के अनुसार ईरान-अफगान सीमा पर कांटेदार तारें, बाड़ और पांच मीटर ऊंची कंक्रीट की दीवार बनाने के लिए ईरान सरकार ने तीन बिलियन डॉलर की मंजूरी दी है। ईरान के रक्षा मंत्री मोहम्मद रजा घराई अष्टियानी ने कहा है कि अफगानिस्तान की सरकार आतंकी गुटों की गतिविधियों की रोकथाम करने में पूरी तरह से विफल रही है, इसलिए हमें

मजबूरन अफगानिस्तान से लगने वाली सीमा को सील करने का फैसला करना पड़ा है।

गौरतलब है कि दो महीने पहले ईरान ने अफगानिस्तान के कई गांवों पर मिसाइलों से हमला किया था, जिसमें दो दर्जन से अधिक लोग मारे गए थे। इसके जवाब में अफगान सेना ने भी ईरानी गांवों पर बमबारी की थी, जिसमें दो दर्जन लोग मारे गए थे। इस घटना के बाद अफगान सरकार ने आरोप लगाया था कि ईरान अंतरराष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन करके अफगान सीमा का अतिक्रमण कर रहा है। इसके जवाब में ईरान सरकार ने कहा था कि उसने गुप्तचर सूत्रों से मिली सूचना के आधार पर अफगानिस्तान स्थित जैश अल-अदल और आईएसएसआईएस के ठिकानों को अपना निशाना बनाया था। इन आतंकी समूहों ने आत्मघाती हमला करके ईरान के केरमान स्थित एक दरगाह में 200 से अधिक निर्दोष ईरानियों की हत्या कर दी थी। ईरान सरकार ने यह भी दावा किया है कि उसके इस कदम से अफगान सीमा से अवैध घुसपैठ एवं मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने में भी सहायता मिलेगी। ईरान सरकार के सूत्रों के अनुसार ईरान में 80 लाख से अधिक अफगान नागरिक अवैध रूप से रह रहे थे, जिनमें से 50 लाख लोगों को ईरान सरकार ने अपने देश से निष्कासित करके वापस अफगानिस्तान भेज दिया था। इस घटना के बाद दोनों देशों के संबंधों में कटुता आ गई थी। अफगान सरकार ने आरोप लगाया था कि ईरान सरकार पासपोर्ट और वीजा लेकर रहने वाले अफगान नागरिकों को भी अपने देश से जबरन निष्कासित कर रही है।

औरंगाबाद टाइम्स (4 मई) के अनुसार पानी के बंटवारे को लेकर भी दोनों देशों के आपसी संबंध काफी बिगड़ गए हैं। ईरान सरकार के प्रवक्ता के अनुसार तालिबान ने फरवरी 2021 में हेलमंद नदी से प्रत्येक वर्ष 220 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी ईरान को सप्लाई करने के बारे में संधि की थी, मगर अब अफगान सरकार इसका पालन नहीं कर रही है। ईरान ने इस मामले को अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में ले जाने की धमकी दी है।

अवधनामा (13 मई) के अनुसार डॉन न्यूज ने यह दावा किया है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अफगान सीमा की

समस्या पर विचार करने के लिए बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री मीर सरफराज बुगती के नेतृत्व में एक उच्चस्तरीय कमेटी गठित की है। यह कमेटी सीमा पर जाकर स्थिति का अध्ययन करेगी। बलूचिस्तान के गृह विभाग के सचिव ने मीडिया को बताया कि सीमा पर निगरानी कड़ी की गई है और बलूचिस्तान सरकार द्वारा अब तक अवैध रूप से रह रहे 2 लाख 20 हजार अफगान नागरिकों को वापस स्वदेश भेजा गया है। पाकिस्तान की गुप्तचर एजेंसियां आतंकियों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रख रही हैं।

तासीर (15 मई) के अनुसार अफगानिस्तान-पाकिस्तान सीमा पर तालिबान के सैनिकों और पाकिस्तानी सीमा रेंजरों के बीच झड़पें हुई हैं। ये झड़पें 13 मई को अफगानिस्तान के क्षेत्र में पाकिस्तानी हवाई हमले के बाद हुई हैं। इस हमले के बाद तालिबान ने पाकिस्तानी सेना के एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल का कंधार दौरा स्थगित कर दिया है। पाकिस्तान का दावा है कि प्रतिबंधित आतंकी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान द्वारा पाकिस्तान पर हमलों के लिए अफगानिस्तान की भूमि का इस्तेमाल किया जा रहा है। जबकि तालिबान का आरोप है कि पाकिस्तान इस्लामी आतंकी संगठन आईएसआईएस का इस्तेमाल तालिबान के खिलाफ कर रहा है और वह आईएसआईएस को अफगानिस्तान में अशांति फैलाने के लिए हथियार भी सप्लाई कर रहा है।

जर्मनी में इस्लामी खिलाफत की मांग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश

अवधनामा (3 मई) के अनुसार जर्मनी की कट्टरपंथी पार्टी क्रिश्चियन सोशल यूनियन ने संसद में यह मांग की है कि जो लोग जर्मन लोकतंत्र के वर्तमान ढांचे को बदलकर उसकी जगह शरिया कानून को लागू करने और इस्लामी खिलाफत की स्थापना की मांग कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। जर्मनी की संसद में क्रिश्चियन सोशल यूनियन के नेता अलेक्जेंडर डोब्रिंड्ट ने अपने भाषण में कहा कि जो लोग जर्मनी में इस्लामी खिलाफत को स्थापित करने का सपना देख रहे हैं उन्हें या तो फौरन

जेल भेजना चाहिए या फिर उन्हें जर्मनी की नागरिकता से वंचित कर देना चाहिए। गौरतलब है

कि क्रिश्चियन सोशल यूनियन जर्मनी का मुख्य विपक्षी दल है, जो वर्तमान चांसलर ओलाफ स्कोल्ज के नेतृत्व वाले शासक गठबंधन का विरोधी है। डोब्रिंड्ट ने कहा कि जो भी व्यक्ति जर्मनी में शरीयत को लागू करना चाहता है और इस्लामी खिलाफत की स्थापना करना चाहता है वह हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था का दुश्मन है। ऐसे लोगों के साथ किसी भी तरह की नरमी नहीं बरतनी चाहिए। इस तरह के लोकतंत्र विरोधी तत्वों को कम-से-कम उम्रकैद की सजा दी जानी चाहिए और उन्हें नागरिकों को मिलने वाले अधिकारों और सुविधाओं से वंचित कर देना चाहिए। ऐसे देश के दुश्मन लोगों की दोहरी नागरिकता भी फौरन रद्द की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि उन सभी इस्लामी संगठनों पर भी प्रतिबंध लगना चाहिए, जो जर्मनी में इस्लामी खिलाफत की स्थापना करना चाहते हैं।

जर्मनी की गृह मंत्री नैन्सी फेसर ने अलेक्जेंडर डोब्रिंड्ट को यह आश्वासन दिया कि अगर कोई भी व्यक्ति रैली में जर्मनी के वर्तमान लोकतांत्रिक ढांचे को बदलने की मांग करेगा या देश में शरिया कानून को लागू करने की मांग करेगा उसके खिलाफ जर्मन कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में जर्मनी पुलिस को स्पष्ट निर्देश दिए जा चुके हैं। जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्ज ने भी जर्मनी में इस्लामिक कट्टरपंथियों की बढ़ती हुई गतिविधियों पर चिंता प्रकट की और कहा कि हमारे लोकतंत्र और कानून में जो व्यवस्था है उसके तहत ऐसे इस्लाम समर्थक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।

हैम्बर्ग में हाल में हुई कट्टर इस्लामिक गुटों की रैली का उल्लेख करते हुए जर्मनी के अर्थव्यवस्था मंत्री रॉबर्ट हैबेक ने कहा कि इस रैली में देश में इस्लामी खिलाफत स्थापित करके शरिया कानून को लागू करने की जो मांग की गई है उसने जर्मनी के लोकतांत्रिक मूल्यों पर गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि इस रैली में लगभग 1100 मुस्लिम कट्टरपंथी शामिल थे, जिसे अतिवादी मुस्लिम समुदाय ने आयोजित किया था। गौरतलब है कि हैम्बर्ग के सेंट जॉर्ज जिले में आयोजित मुसलमानों की इस रैली में जर्मनी में इस्लामोफोबिया की नीति और मीडिया में मुसलमानों के खिलाफ अभियान पर रोष प्रकट किया गया था। इस रैली में इस बात पर भी जोर दिया गया था कि जर्मनी में रहने वाले मुसलमानों को शरिया कानूनों को अपनाने और अपने धर्म के अनुसार शासन व्यवस्था स्थापित करने की अनुमति होनी चाहिए। इस रैली में कई वक्ताओं ने यह भी मांग की कि जर्मनी में इस्लामी खिलाफत की स्थापना की जानी चाहिए। रैली में भाग लेने वाले लोगों ने अपने हाथों में बैनर लिए हुए थे, जिसमें लिखा था कि मुसलमानों और इस्लाम के खिलाफ नफरत का अभियान बंद होना चाहिए। जर्मनी में रहने वाले मुसलमानों के लिए सुरक्षा का एकमात्र आधार इस्लामी खिलाफत की स्थापना है।

भारत ने ईरान से लीज पर लिया चाबहार बंदरगाह

रोजनामा सहारा (14 मई) के अनुसार भारत ने ईरान के चाबहार क्षेत्र में स्थित शाहिद बेहिश्ती नामक बंदरगाह को 10 साल के लिए लीज पर ले लिया है। इस संबंध में दोनों देशों के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। अब इस बंदरगाह का पूरा प्रबंध भारत के पास होगा। इसके साथ ही भारत को अफगानिस्तान और मध्य एशिया में व्यापार के लिए एक वैकल्पिक रास्ता मिल गया है। इस समझौते से पाकिस्तान को गहरा झटका लगा है। अभी तक अफगानिस्तान से भारत का पूरा व्यापार पाकिस्तान के रास्ते से होता था। समझौते के अनुसार भारतीय कंपनी इंडिया पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड इस बंदरगाह को विकसित करने के लिए 120 मिलियन डॉलर का निवेश करेगी। इस समझौते के लिए भारत से केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल को ईरान भेजा गया था।

गौरतलब है कि ईरान और भारत पिछले 20 सालों से चाबहार परियोजना पर काम कर रहे हैं। चाबहार विदेश में लीज पर लिया गया भारत का पहला बंदरगाह है। भारत दुनियाभर में अपने व्यापार को बढ़ाना चाहता है। चाबहार बंदरगाह इसमें महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इस बंदरगाह को लीज पर लेने से भारत अब ईरान, अफगानिस्तान, आर्मीनिया, अजरबैजान, रूस, मध्य एशिया और यूरोप के साथ सीधा व्यापार कर सकता है। गौरतलब है कि 2018 में ईरान और भारत ने चाबहार के निर्माण से संबंधित समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। भारत अभी इसी रास्ते से अफगानिस्तान को खाद्य संकट से उबारने के लिए गेहूं भेज रहा है। अब भारत इस बंदरगाह के माध्यम से मध्य एशिया के देशों से गैस और तेल का भी आयात कर सकेगा।

रोजनामा सहारा (15 मई) के अनुसार चाबहार बंदरगाह के संबंध में भारत और ईरान के बीच हुए समझौते के बाद अमेरिका ने परोक्ष रूप से इसका विरोध किया है और यह धमकी दी है कि ईरान के साथ व्यापार करने के कारण अमेरिका भारत पर भी आर्थिक प्रतिबंध लगा सकता है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के उप प्रवक्ता वेदांत पटेल ने न्यूयॉर्क में संवाददाताओं से बातचीत

किया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि चाबहार मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट से रूस के सेंट पीटर्सबर्ग तक जाने वाले अंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे का भी हिस्सा है, जो हिंद महासागर और फारस की खाड़ी को जोड़ने वाला एक यातायात का मार्ग भी है। अब भारत लाल सागर के एक वैकल्पिक रास्ते के रूप में चाबहार बंदरगाह का भी उपयोग कर सकता है।

करते हुए कहा कि हमें सूचना मिली है कि ईरान और भारत ने चाबहार बंदरगाह से संबंधित एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत अपनी विदेश नीति और दूसरे देशों के साथ अपने संबंधों के बारे में अपनी मर्जी से फैसला कर सकता है, लेकिन ईरान जिस भी देश के साथ व्यापार करेगा उस पर हम आर्थिक प्रतिबंध लगा सकते हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या ईरान के साथ व्यापार करने वाली भारतीय कंपनियों पर भी अमेरिका प्रतिबंध लगा सकता है? तो उन्होंने कहा कि हम कई बार यह स्पष्टीकरण दे चुके हैं कि अगर कोई संस्था, कोई कंपनी या कोई देश ईरान के साथ व्यापार करने पर विचार कर रहा हो तो उसे यह समझ लेना चाहिए कि अमेरिका द्वारा उस पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हम अपनी नीति में किसी भी देश को कोई छूट देने के लिए कतई तैयार नहीं हैं। बता दें कि 2018 में जब ईरान और भारत के बीच चाबहार पर समझौता हुआ था तो अमेरिका ने यह संकेत दिया था कि वह भारत पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाएगा, लेकिन अब अमेरिका ने अपने रूख में परिवर्तन कर लिया है।

गौरतलब है कि पाकिस्तान ने इस समझौते की आलोचना की है। इससे पहले भी पाकिस्तान यह धमकी दे चुका है कि भारत और अफगानिस्तान के बीच व्यापार के लिए पाकिस्तान द्वारा जो पारगमन सुविधाएं दी जा रही हैं उन्हें रद्द

मुंबई उर्दू न्यूज (16 मई) ने अपने संपादकीय में कहा है कि भविष्य में इस समझौते का इस पूरे क्षेत्र पर प्रभाव पड़ेगा। इस समझौते के लिए भारत काफी समय से प्रयास कर रहा था और ईरान के तत्कालीन राष्ट्रपति हसन रूहानी ने इस समझौते में व्यक्तिगत रूप से रुचि ली थी। इस समझौते की खास बात यह है कि इससे पाकिस्तान के बंदरगाह ग्वादर और चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (बीआरआई) कार्यक्रम के महत्व को भी चोट पहुंची है। अब इस समझौते से भारत पाकिस्तान को नजरअंदाज करके अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंच सकता है। चाबहार मध्य एशिया के देशों के व्यापार की कड़ी साबित हो सकता है। यह समझौता अमेरिका को पसंद नहीं आया और उसने भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने की धमकी दे डाली है। खुशी की बात यह है कि देश के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कहा है कि हम किसी के दबाव में अपने हितों से समझौता करने वाले नहीं हैं।

एतेमाद (16 मई) ने अपने संपादकीय में इस बात पर चिंता प्रकट की है कि अमेरिका ने इजरायल की दोस्ती के खातिर भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने की धमकी दे डाली है। विश्लेषकों के अनुसार इस धमकी के कई कारण हैं। बाइडेन प्रशासन अमेरिका में रहने वाले खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की कथित

साजिश और कनाडा में एक अन्य खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के सिलसिले में भारत पर दबाव डाल रहा है। अमेरिका की इस धमकी से दोनों देशों के संबंधों में तनाव आ सकता है। अमेरिका ने भारतीय कंपनियों पर यह भी आरोप लगाया है कि वे गुप्त रूप से रूस के साथ व्यापार कर रही हैं। अमेरिका ने रूस और ईरान से व्यापार करने वाली तीन भारतीय कंपनियों पर भी प्रतिबंध लगाया है।

यह भी चर्चा है कि हाल ही में सऊदी अरब, ईरान और चीन के बीच जो नजदीकियां बढ़ी हैं उससे अमेरिका भारत को दूर रखना चाहता है। यह भी कहा जा रहा है कि बाइडेन प्रशासन मोदी सरकार की वापसी के पक्ष में नहीं है, क्योंकि नरेन्द्र मोदी का झुकाव डोनाल्ड ट्रम्प की ओर है और यह किसी से छिपा भी नहीं है। खुशी की बात यह है कि अमेरिका के दबाव में भारत आने के लिए तैयार नहीं है।

फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता का प्रस्ताव मंजूर

उर्दू टाइम्स (12 मई) के अनुसार संयुक्त राष्ट्र महासभा में संयुक्त अरब अमीरात द्वारा पेश प्रस्ताव को मंजूर कर लिया गया है। इस प्रस्ताव में फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र की पूर्ण सदस्यता देने का समर्थन किया गया है। गौरतलब है कि अभी तक फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र में पर्यवेक्षक का दर्जा ही प्राप्त था। संयुक्त अरब अमीरात द्वारा पेश प्रस्ताव के पक्ष में 143 देशों ने मतदान किया। जबकि अमेरिका, इजरायल, अर्जेंटीना और हंगरी समेत नौ देशों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। वहीं, 25 देशों ने मतदान में भाग नहीं लिया। बता दें कि पिछले सात महीने से कई अरब देश संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन को पूर्ण सदस्यता दिलाने के लिए प्रयास कर रहे थे। यह प्रस्ताव इसलिए भी महत्त्वपूर्ण है क्योंकि इजरायल वेस्ट बैंक क्षेत्र में यहूदी बस्तियां बसाने का काम जोरों से कर रहा है। हालांकि, संयुक्त राष्ट्र इसे गैरकानूनी करार दे चुका है। इस मतदान के बाद फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता तो नहीं मिली, लेकिन उसे संयुक्त राष्ट्र का स्थाई सदस्य बनने योग्य मान लिया गया है। संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीनी प्रतिनिधि रियाद मंसूर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए कहा कि हम आजादी चाहते हैं।

फ्रांसीसी संवाद समिति 'एएफपी' के अनुसार इजरायल ने बीते शुक्रवार को रफा पर बमबारी की है। गाजा में युद्धविराम हेतु मिस्र की राजधानी काहिरा में जो वार्ता चल रही थी वह किसी नतीजे पर पहुंचे बिना ही स्थगित कर दी गई है। गौरतलब है कि हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर इजरायल ने दक्षिणी गाजा पर कोई बड़ा हमला किया तो इजरायल को तोपों के गोले और अन्य हथियारों की सप्लाई रोक दी जाएगी। यह पहला अवसर है जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने इजरायल पर दबाव बढ़ाया है। अमेरिका द्वारा इजरायल को दी जाने वाली तीन अरब डॉलर की सैन्य सहायता को भी बंद करने की धमकी दी गई है। अमेरिका ने इजरायल से बार-बार अनुरोध किया है कि वह रफा पर हमला न करे। बाइडेन

ने यह भी कहा कि अमेरिका की यह नीति किसी राज्य के खिलाफ नहीं, बल्कि यह शांति के लिए पूंजी निवेश है।

दूसरी ओर, संयुक्त राष्ट्र में इजरायल के प्रतिनिधि गिलाद एर्दान ने इस प्रस्ताव के प्रारूप की निंदा की और कहा कि इस प्रस्ताव के स्वीकार होने से फिलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता मिल जाएगी, जो संयुक्त राष्ट्र के चार्टर का उल्लंघन है। महासभा में फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता हेतु हुए मतदान के बाद संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका के उप प्रतिनिधि रॉबर्ट वुड ने कहा कि हमारा वोट फिलिस्तीनी राज्य के विरोध का संकेत नहीं है। हम वहां पर स्थाई शांति को आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील हैं। फिलिस्तीन को पूर्ण राज्य का दर्जा तभी मिलेगा जब दोनों पक्षों के बीच सीधी बातचीत होगी। गौरतलब है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के 140 सदस्य देश पहले ही फिलिस्तीन को एक राज्य के रूप में मान्यता दे चुके हैं, लेकिन अमेरिका ने सुरक्षा परिषद में इस प्रस्ताव को वीटो कर दिया था। इससे फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र की पूर्ण सदस्यता का दर्जा देने का मामला खटाई में पड़ गया है। अमेरिका प्रारंभ से ही इजरायल का समर्थक है। इस नाते उसने गाजा में युद्ध के दौरान इजरायल का पूरा साथ दिया है।

उर्दू टाइम्स (3 मई) के अनुसार भारत ने फिलिस्तीन का खुलकर समर्थन करके इजरायल को एक बड़ा झटका दिया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थाई प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा है कि भारत इजरायल और फिलिस्तीन दोनों को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने का पक्षधर है ताकि फिलिस्तीनी जनता सुरक्षित सीमा के अंदर एक आजाद देश में रह सकें। भारत के इस कदम को इजरायल के लिए झटका माना जा रहा है, क्योंकि इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने फिलिस्तीनी स्टेट को इजरायल के वजूद के लिए खतरा करार दिया है। कंबोज ने कहा कि भारत फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बनाने के प्रयासों का समर्थन करता रहेगा। कंबोज ने हमास की भी निंदा की और कहा कि आतंकवाद का किसी भी रूप में समर्थन नहीं किया जा सकता। भारत हमेशा से आतंकवाद का विरोधी रहा है। उन्होंने मांग की कि हमास द्वारा बंधक बनाए गए सभी नागरिकों को तुरंत रिहा किया जाए। उन्होंने गाजा के लोगों के लिए सहायता में भी वृद्धि करने पर जोर दिया ताकि उनकी समस्याएं दूर हो सकें।

बता दें कि भारत हमेशा से फिलिस्तीन का पक्षधर रहा है, लेकिन हाल ही में मोदी सरकार ने इजरायल के नजदीक आने की नीति को अपनाना शुरू किया था। यह पहला अवसर है जब भारत ने फिलिस्तीन का खुलकर समर्थन करते हुए आजाद फिलिस्तीन की वकालत की है। भारत की इस नीति से अमेरिका को भी झटका लगा है।

मुंबई उर्दू न्यूज (4 मई) ने अपने संपादकीय में भारत द्वारा फिलिस्तीन को खुला समर्थन दिए जाने का स्वागत किया है। भारत ने कहा है कि हाल ही में फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र की पूर्ण सदस्यता देने के बारे में सुरक्षा परिषद में एक प्रस्ताव पेश किया गया था। हालांकि, इसके समर्थन में 140 देश आए थे, लेकिन अमेरिका ने इसे वीटो कर दिया था। साफ है कि अमेरिका का यह कदम इजरायल के समर्थन में था। इजरायल यह नहीं चाहता कि फिलिस्तीन संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बने। वह फिलिस्तीन को अपने लिए खतरा समझता है और यह चाहता है कि पूरी दुनिया उसी की तरह फिलिस्तीन को खतरा मान ले। अब भारत ने फिलिस्तीन की सदस्यता का समर्थन करके अमेरिका और इजरायल दोनों को भारी झटका दिया है। इन दिनों भारत और इजरायल के बीच बेहद घनिष्ठ संबंध हैं। दोनों देशों के बीच भारी मात्रा में व्यापार होता है और हथियार भी खरीदे जाते हैं। इजरायल ने वेस्ट बैंक में यहूदी बस्तियां बसाने की जिस योजना की घोषणा की थी उसके विरोध में हमास ने इजरायल पर हमला किया था। जहां तक भारत की ओर से आतंकवाद पर सख्ती का संबंध है वह मोदी सरकार की नीति का हिस्सा है, लेकिन हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि हमास को आतंकी संगठन घोषित करने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। फिलिस्तीन और इजरायल के विवाद के समाधान के लिए हमास से बातचीत करनी ही होगी। हालांकि, जब जॉर्डन की तरफ से संयुक्त राष्ट्र महासभा में युद्धविराम के लिए प्रस्ताव पेश किया गया था तो भारत ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया था। मतदान में भाग न लेने के बारे में अपनी नीति को स्पष्ट करते हुए भारत ने कहा था कि क्योंकि इस प्रस्ताव में सात अक्टूबर को हमास द्वारा इजरायल पर हमले की निंदा नहीं की गई है, इसलिए भारत ने मतदान में भाग नहीं लिया है। सवाल यह है कि अगर भारत आतंकवाद का विरोधी है तो हमास की निंदा के साथ-साथ उसने इजरायल की भी निंदा क्यों नहीं की, जो नागरिकों और छोटे बच्चों की निरंतर हत्या कर रहा है। मोदी सरकार के लिए यह अच्छा अवसर है कि वह हमास की निंदा के साथ-साथ इजरायल के अपराधों की भी निंदा करे। जैसे कि कई यूरोपीय और अफ्रीकी देश कर रहे हैं। भारत हमेशा फिलिस्तीन के साथ खड़ा था और आज भी स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य का समर्थक है। फिलिस्तीन के समर्थन का यह फैसला चुनाव के दौरान उठाया गया है। जैसा मशहूर है कि प्रधानमंत्री मोदी हर आपदा में अवसर तलाश कर लेते हैं। कहीं वे इस युद्ध में भी अवसर तो नहीं तलाश रहे हैं और वे मुसलमानों के मत प्राप्त करने के लिए यह बता रहे हैं कि उनकी सरकार फिलिस्तीनी मुसलमानों के साथ खड़ी है?

रोजनामा सहारा (12 मई) ने अपने संपादकीय में संयुक्त राष्ट्र महासभा में पारित प्रस्ताव का समर्थन किया है। समाचारपत्र ने कहा है कि हाल ही में भारत ने जिस तरीके से फिलिस्तीनियों का समर्थन किया है उसका हम स्वागत करते हैं। जहां तक अमेरिका और ब्रिटेन का संबंध है, वे शुरुआत से ही फिलिस्तीनी जनता के खिलाफ रहे हैं। इजरायल के साथ अमेरिका और उसके समर्थक देशों की हमदर्दी किसी से छिपी हुई नहीं है। जब तक अमेरिका अपनी नीति में परिवर्तन नहीं करता तब तक मध्य पूर्व में स्थाई शांति संभव नहीं है।

इसी समाचारपत्र में प्रकाशित एक अन्य समाचार के अनुसार सऊदी अरब सरकार ने संयुक्त राष्ट्र द्वारा फिलिस्तीन को स्थाई सदस्यता देने के प्रस्ताव को पारित करने का समर्थन किया है। एक अन्य समाचार के अनुसार तुर्किये ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए यह आशा व्यक्त की है कि विश्व फिलिस्तीन के स्वतंत्र राज्य को मान्यता प्रदान करेगा।

कुवैत की संसद भंग

रोजनामा सहारा (12 मई) के अनुसार कुवैत के अमीर शेख मिशाल अल-अहमद अल-जबर अल-सबा ने नेशनल असेंबली को भंग कर दिया है। इसके साथ ही संविधान की कुछ धाराओं को भी चार साल से अधिक की अवधि के लिए निलंबित करने की घोषणा की गई है। उन्होंने कई सरकारी विभागों को भी अपने नियंत्रण में ले लिया है। इससे कुवैत में भारी संवैधानिक संकट पैदा हो गया है। कुवैत की न्यूज एजेंसी 'कुना' के अनुसार अमीर ने संसद को भंग करने और संविधान की कुछ धाराओं को निलंबित रखने का आदेश जारी किया है। शाही फरमान के अनुसार अमीर शेख मिशाल ने संसद के सभी अधिकारों को अपने नियंत्रण में ले लिया है। उन्होंने टेलीविजन पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए अपने इस फैसले की घोषणा की। उन्होंने दावा किया कि कुवैत बुरे समय से गुजर रहा है। देश को बचाने और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए उन्हें कुछ सख्त फैसले लेने पड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ सालों से कुवैत सरकार के कई विभागों में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार बढ़ गया था। इसके कारण देश का वातावरण खराब हो रहा था।

सबसे दुखद बात यह है कि यह भ्रष्टाचार सुरक्षा और आर्थिक संस्थानों तक फैल गया था। यहां तक कि न्याय व्यवस्था भी इससे अछूती नहीं रह सकी।

गौरतलब है कि कुवैत की शासन व्यवस्था में सबसे बड़ा पद अमीर का होता है। अमीर ने अप्रैल महीने में नई संसद का गठन किया था और 13 मई को इसकी पहली बैठक होने वाली थी, लेकिन कई नेताओं ने सरकार में भाग लेने से इंकार कर दिया था। अमीर ने कहा था कि सरकार बनाने में जो विफलता हो रही है वह कुछ नेताओं द्वारा उनके आदेशों और शर्तों को न मानने का परिणाम है। कुवैत के सरकारी टीवी के अनुसार संसद भंग होने के बाद नेशनल असेंबली की पूरी शक्तियां अमीर और उनके मंत्रिमंडल के पास आ गई हैं। इससे पहले फरवरी महीने में भी संसद को भंग किया गया था। इसके बाद अप्रैल महीने में चुनाव हुए थे।

राजनीतिक उठापटक में फंसे कुवैत में भी अन्य अरब देशों की तरह शेख के नेतृत्व वाली राजशाही व्यवस्था है, लेकिन अन्य अरब देशों की तुलना में कुवैत की संसद को कुछ अधिकार जरूर प्राप्त हैं। पिछले कुछ सालों से कुवैत की घरेलू राजनीति में संकट चल रहा है। अमीर और संसद के बीच कई मामलों पर गंभीर मतभेद हैं। देश का कल्याणकारी तंत्र इसका सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। इस कारण कुवैत की सरकार कर्ज नहीं ले पा रही है। यही कारण है कि तेल से भारी मुनाफे के बावजूद कर्मचारियों को वेतन देने के लिए सरकारी खजाने में धनराशि नहीं है। जहां तक कुवैत की राजनीतिक व्यवस्था का प्रश्न है। कुवैत को पांच प्रांतों में बांटा गया है। जनता हर प्रांत से दस-दस प्रतिनिधियों को चुनती है। इन प्रतिनिधियों को चार साल के लिए चुना जाता है। वहां पर कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, क्योंकि कुवैत में राजनीतिक पार्टियों पर प्रतिबंध लगा हुआ है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी अमीर करते हैं। इसके बाद अमीर की सहायता से प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल को चुनते हैं। कुवैत के संविधान के अनुसार कुवैत के अमीर को यह अधिकार है कि वे जब चाहें बिना कोई कारण बताए संसद को भंग कर सकते हैं। संसद को भंग किए जाने के दो महीने के बाद फिर से चुनाव करवाना पड़ता है। पिछले 28 सालों में 12 बार कुवैत की संसद भंग हुई है। कुवैत के मंत्रिमंडल में 16 मंत्री होते हैं। अमीर के हाल के फैसले से शासन व्यवस्था के लिए संकट पैदा हो गया है।

तुर्किये का इजरायल के साथ व्यापारिक संबंध समाप्त

उर्दू टाइम्स (4 मई) के अनुसार गाजा में इजरायल के अतिक्रमण के खिलाफ विरोध प्रकट करते हुए तुर्किये ने इजरायल के साथ सभी तरह के व्यापारिक संबंध तोड़ लिए हैं। तुर्किये के व्यापार मंत्रालय ने एक प्रेस विज्ञप्ति में दावा किया है कि तुर्किये इजरायल के साथ किसी तरह का आयात-निर्यात नहीं करेगा। जब तक गाजा में स्थाई युद्धविराम लागू नहीं होता तब तक दोनों

देशों के बीच व्यापारिक संबंध विच्छेद रहेंगे। दूसरी ओर, इजरायल के विदेश मंत्री ने आरोप लगाया है कि बंदरगाहों पर इजरायल की वस्तुओं के आयात-निर्यात को रोक कर तुर्किये के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगन दोनों देशों के बीच हुए समझौतों का उल्लंघन कर रहे हैं। इससे पहले संयुक्त अरब अमीरात ने भी इजरायल के साथ द्विपक्षीय संबंध तोड़ने की घोषणा की थी। ईरान ने भी इजरायल समर्थक देशों के साथ आयात-निर्यात करने पर प्रतिबंध लगा दिया है।

हिंदुस्तान (5 मई) के अनुसार तुर्किये के व्यापार मंत्री ओमर बोलाट ने कहा है कि हाल ही में इजरायल की सरकार ने यह दावा किया था कि तुर्किये की सरकार ने इजरायल के साथ आयात-निर्यात पर लगे प्रतिबंध को नरम करने का संकेत दिया है। हालांकि, इजरायल के इस दावे में कोई सच्चाई नहीं है। गौरतलब है कि इजरायल के विदेश मंत्री ने कहा था कि तुर्किये के राष्ट्रपति ने इजरायल के साथ व्यापार पर जो प्रतिबंध लगाए थे उसे उन्होंने हटाने का फैसला किया है। बोलाट ने कहा कि इजरायल का यह दावा सरासर गलत है। उन्होंने कहा कि तुर्किये सरकार ने इजरायल को निर्यात करने वाली कंपनियों को यह निर्देश दिया है कि वे अगले तीन महीनों में किसी तीसरे देश द्वारा दिए गए ऑर्डर को पूरा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस निर्देश का लक्ष्य यह है कि तुर्किये के व्यापारियों को तीसरे देशों के ऑर्डर को सप्लाई करने में कोई परेशानी न हो।

मुंबई उर्दू न्यूज (3 मई) के अनुसार कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने गाजा में इजरायल के हमले का विरोध करते हुए यह घोषणा की है कि कोलंबिया इजरायल के साथ अपने राजनयिक संबंधों को तोड़ रहा है। उन्होंने मजदूर दिवस के मौके पर श्रमिकों को संबोधित करते हुए कहा कि इजरायल सरकार नरसंहार की नीति पर चल रही है। उन्होंने कहा कि कोलंबिया दक्षिण अफ्रीका के साथ मिलकर इजरायल के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में नरसंहार की याचिका में भागीदार बनने का भी फैसला किया है। गौरतलब है कि 1950 में इजरायल और कोलंबिया के बीच राजनयिक संबंध स्थापित हुए थे। हाल ही में बोलीविया ने भी इजरायल के साथ राजनयिक संबंध तोड़ने की घोषणा की है। ■

ईरान द्वारा परमाणु बम बनाने की धमकी

अवधनामा (10 मई) के अनुसार ईरान ने पहली बार विधिवत तौर पर इजरायल के खिलाफ परमाणु बम के इस्तेमाल की धमकी दी है। ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता अली खामेनेई के सलाहकार कमाल खराजी ने कहा है कि हालांकि हम बार-बार यह घोषणा कर चुके हैं कि ईरान परमाणु बम तैयार नहीं करेगा, लेकिन इजरायल की ओर से हमारा वजूद खतरे में है, इसलिए हमने अपनी नीति में परिवर्तन करने का फैसला किया है। अगर इजरायल हमारे परमाणु ठिकानों पर हमला करता है तो हम निश्चित रूप से उसका जवाब परमाणु बम के इस्तेमाल से देंगे। उन्होंने कहा कि ईरान आज इस स्थिति में है कि वह जब चाहे परमाणु बम बना सकता है। हालांकि, इससे पहले हम इस

बात के पक्षधर थे कि परमाणु शक्ति का इस्तेमाल युद्ध के लिए नहीं, बल्कि शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम को विकसित करने के लिए किया जाए। अली खामेनेई ने 2019 में कहा था कि हम परमाणु बम बनाने, उसका भंडारण करने और उसका इस्तेमाल करने को हराम समझते हैं। 2021 में ईरान के गुप्तचर विभाग के मंत्री ने कहा था कि पश्चिमी देशों के दबाव के कारण हमें अपनी परमाणु नीति पर पुनर्विचार करना पड़ रहा है और हम इस बदले हुए हालात में परमाणु हथियारों को विकसित करने की नीति का अनुसरण करेंगे। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार ईरान इस स्थिति में है कि वह जब चाहे परमाणु बम बना सकता है। हाल ही में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने परमाणु रिएक्टर के विस्तार कार्यक्रम के अवसर पर मीडिया को संबोधित करते हुए कहा था कि हालांकि हम परमाणु बम बनाने की स्थिति में हैं, लेकिन फिलहाल हम इसे नहीं बनाएंगे। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है कि बदले हुए हालात में हमें अपनी परमाणु नीति पर पुनर्विचार करना चाहिए।

सहाफत (11 मई) के अनुसार ईरान के राष्ट्रपति ने कहा है कि हम परमाणु शक्ति के विकास की अपनी नीति पर कटिबद्ध हैं। हम इस मुद्दे पर किसी भी देश के दबाव में नहीं आएंगे और न ही किसी से कोई समझौता करेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि विदेशी शक्तियां ईरान में अशांति फैलाकर एवं आतंकी हमलों द्वारा ईरान की जनता के विकास को रोकने का प्रयास कर रही हैं। हमें खुदा पर भरोसा है। हमारे इरादे फौलादी हैं। हम निरंतर परमाणु शक्ति का विकास करते रहेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो ईरान के वजूद को बरकरार रखने के लिए उसके इस्तेमाल से भी नहीं हिचकिचाएंगे।

कौमी तंजीम (13 मई) के अनुसार ईरान में हुए संसदीय चुनाव में कट्टरपंथी तत्वों ने संसद में बहुमत प्राप्त कर लिया है। एएफपी के अनुसार मतदाताओं को 10 मई को उन क्षेत्रों में पुनः वोट डालने के लिए बुलाया गया था जहां के उम्मीदवार मार्च महीने में हुए मतदान में निर्धारित मत प्राप्त करने में विफल रहे थे। गौरतलब है कि 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद पहली बार मार्च में हुए संसदीय चुनाव में सबसे कम ईरानी मतदाताओं ने भाग लिया था। इस चुनाव में 41 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मत डाले थे। ईरान के 31 में से 15 प्रांतों में फिर से मतदान हुआ है। सरकारी टेलीविजन के अनुसार यह मतदान इलेक्ट्रॉनिक मशीनों के जरिए हुआ है। ईरान के गृह मंत्री अहमद वहीदी ने कहा कि 45 सीटों में से 31 सीटों पर कट्टरपंथी उम्मीदवारों की जीत हुई है। गौरतलब है कि ईरान के वर्तमान राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी को कट्टरपंथी विचारधारा का माना जाता है। मार्च में होने वाले संसदीय चुनाव में दो करोड़ 50 लाख मतदाताओं ने भाग लिया था। जबकि ईरान में पंजीकृत वोटों की संख्या 6 करोड़ 10 लाख है। ईरान के उदारवादी पार्टियों के गठबंधन रिफॉर्म फ्रंट ने इन चुनावों का बहिष्कार करने की घोषणा की थी। उनका कहना था कि यह चुनाव निष्पक्ष वातावरण में नहीं हो रहा है, इसलिए इसमें भाग लेना अर्थहीन है। इससे पहले 2016 के संसदीय चुनाव में 61 प्रतिशत मतदाताओं ने भाग लिया था। ■

सऊदी अरब के शाही महलों को पर्यटकों के लिए खोलने का फैसला

हमारा समाज (9 मई) के अनुसार अरब न्यूज का कहना है कि सऊदी सरकार ने यह फैसला किया है कि राजपरिवार के शाही महलों को पर्यटकों के लिए खोल दिया जाए। यह फैसला सऊदी युवराज मोहम्मद बिन सलमान के विजन 2030 के तहत देश में पर्यटन को विकसित करने के उद्देश्य से किया गया है। सरकारी सूत्रों के अनुसार शाही महलों को पर्यटकों के लिए खोलने का सिलसिला आने वाले छह महीनों में शुरू हो जाएगा। बाकी शाही महलों को 2025 में पर्यटकों के लिए खोला जाएगा। कुछ शाही महलों को होटलों में भी बदलने का फैसला किया गया है। गौरतलब है कि सऊदी सरकार ने 2030 तक दस करोड़ पर्यटकों को सऊदी अरब की यात्रा के लिए आकर्षित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। सऊदी अरब की पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड कंपनी ने यह घोषणा की है कि जिन शाही महलों को होटलों में बदला जा रहा है उनमें अल हमरा पैलेस, तुवाइक पैलेस और रेड पैलेश शामिल हैं। इन होटलों को विकसित करने के लिए विदेशी कंपनियों का भी सहयोग लिया जा रहा है। बता दें कि सऊदी युवराज मोहम्मद बिन सलमान का लक्ष्य यह है कि सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था को सिर्फ तेल के निर्यात तक ही सीमित न रखा जाए, बल्कि इसको विकसित करने के लिए अन्य वैकल्पिक साधनों का भी इस्तेमाल किया जाए। इनमें विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करना और अनेक पर्यटन स्थलों को विकसित करना आदि शामिल है।

RNI No. DELHIN/2017/72722

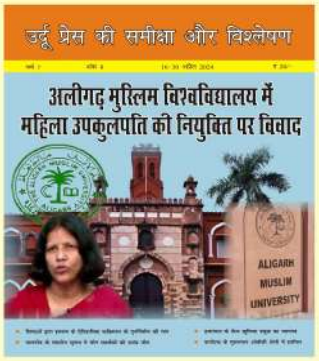

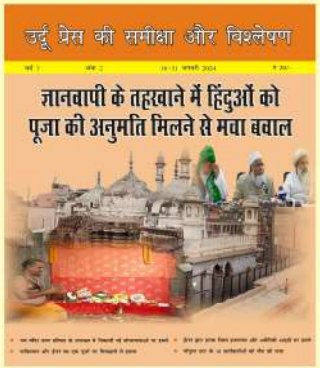

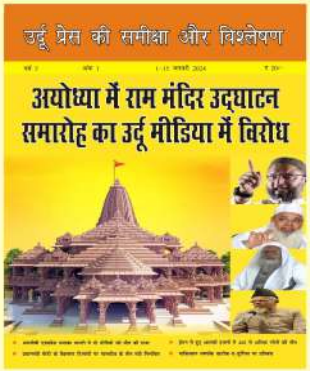

भारत नीति प्रतिष्ठान
India Policy Foundation
डी-51, प्रथम तल, हौजखास, नई दिल्ली-110016
दूरभाष : 011-26524018
ईमेल : info@ipf.org.in, indiapolicy@gmail.com
वेबसाइट : www.ipf.org.in